प्रपत्र सं. ई_क्रभनि-पी-103

भारत सरकार/Government of India

परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy

क्रय एवं भंडार निदेशालय/Directorate of Purchase & Stores

दो-भाग निविदा

निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति के लिए और की ओर से निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार, क्रेता के निविदा विनिर्देशों के अनुसार ठेके के निष्पादन के लिए **दो भागों में** ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करते हैं । निविदा आमंत्रण, निविदाकरण की शर्तें, ठेके की शर्तें और ठेके की अतिरिक्त शर्तें, यदि कोई हैं, जो निविदा के बाद दिए जाने वाले ठेके को शासित करेंगी, संलग्न है।

बोली प्रस्तुत करने के इच्छुक बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि कृपया एनआईटी की विषय-वस्तु को ध्यान से पढ़ें तथा तकनीकी विनिर्देशों और इसमें उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार और एनआईटी में उल्लिखित अंतिम तारीख और समय से पहले बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें और संलग्न प्रपत्र ई_क्रभनि-पी-103ए और ई_क्रभनि-पी-103बी का वचनबंध डिजीटली हस्ताक्षरित या पत्र द्वारा हस्ताक्षरित करके अपलोड करें ।

किसी भी रूप में ऑफलाइन बोलियां जिसमें मुद्रित प्रति भी शामिल हैं, स्वीकार नहीं की जाएगी ।

भवदीय

सहायक क्रय अधिकारी/क्रय अधिकारी

भारत के राष्ट्रपति के लिए और की ओर से (क्रेता)

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	परिभाषा तथा व्याख्या	3-4
2.	अनुभाग ए - निविदा आमंत्रण और निविदा की शर्तें	5-28
3.	अनुभाग बी - निविदा की प्रस्तुति के लिए फॉर्मेट	29-31
4.	अनुभाग सी - ठेके की सामान्य शर्तें और ठेके की विशेष शर्तें	32-54
5.	अनुलग्नक - बैंक गारंटी/क्षतिपूर्ति बंधपत्र/बाधा रजिस्टर के लिए प्रपत्र	55-
6.	खण्ड डी - तकनीकी विनिर्देश एवं ड्राइंग	

परिभाषा तथा व्याख्या

निविदा आमंत्रण, निविदाकरण की शर्तों, ठेका, ठेका की सामान्य शर्तों तथा ठेके की विशेष शर्तों में जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित व्याख्याएं वह होंगी ।

1.1 "बोली'' से तात्पर्य ह कि निविदा आमंत्रण में उल्लिखित अवधि के अंदर और ईएमडी, यदि लागू हो, के साथ प्रस्तुत निविदा आमंत्रण के संबंध में कोटेशन ।

1.2 "बोलीकर्ता" से तात्पर्य ह कि वह व्यक्ति, फर्म, सीमित देयता साझेदारी, एक कंपनी चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति का संघ या संयुक्त संस्था जिसने ठेका निष्पादन के लिए बोली प्रस्तुत की हो और उसमें उनके उत्तराधिकारी, वारिस, निष्पादक, प्रशासन और अनुमत व्यक्ति जहां भी मामला हो, शामिल हैं ।

1.3 "परेषिती" से तात्पर्य ह कार्यस्थल पर क्रेता का प्राधिकृत प्रतिनिधि या अधिकारी जिसे ठेके में उल्लिखित तरीके में भंडार सामग्री सुपुर्द की जानी अपेक्षित ह।

1.4 "ठेकेदार" से तात्पर्य ह एक सफल बोलीकर्ता जिसके साथ क्रेता द्वारा ठेका जिसे भंडार की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया गया हो तथा उसमें उनके उत्तराधिकारी, वारिस, निष्पादक, प्रशासक तथा अनुमत व्यक्ति जहां भी मामला हो, शामिल माने जाएंगे ।

1.5 "ठेका" या "क्रय आदेश" से तात्पर्य ह और इसमें बोली की वैधता के अंदर निविदा की प्रतिक्रिया में प्रस्तुत बोलीकर्ता/ठेकेदार की बोली की स्वीकृति संप्रेषित करने वाला क्रेता द्वारा जारी/भेजा गया पत्र या ई-मेल या पत्र से हस्ताक्षरित या डिजिटली हस्ताक्षरित दस्तावेज़ तथा बाद में उसमें किया गया कोई भी संशोधन/बदलाव जो परस्पर स्वीकृति के आधार पर तैयार किया गया हो, शामिल हैं ।

1.6 "सुपुर्दगी तारीख" से तात्पर्य ह निर्धारित ठेके के पूर्ण होने की तारीख जिसमें वारंटी अवधि शामिल नहीं ह और उसके दायित्व ।

1.7 "निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय" से तात्पर्य ह निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार जो उस समय क्रय एवं भंडार निदेशालय के प्रशासनिक प्रभारी हों तथा इसमें उक्त क्रय एवं भंडार निदेशालय के पदेन निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, क्रय अधिकारी या सहायक क्रय अधिकारी या क्रेता की ओर से ठेके का निष्पादन करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी शामिल ह।

1.8 पेशगी धन जमा (ईएमडी) से तात्पर्य ह प्रतिभागी बोलीकर्ता द्वारा एनआईटी में उल्लिखित रूप और तरीके में बोली जमानत हेतु जमा राशि ।

1.9 "बाधा" से तात्पर्य ह ठेकेदार द्वारा रिकार्ड किए और ठेका द्वारा प्रमाणित किए अनुसार ऐसी घटना जिसके कारण कार्य मे रूकावट आ जाए या विलंब हो जाए ।

1.10 "निरीक्षक" या "गुणता सर्वेक्षक" से तात्पर्य ह क्रेता द्वारा नामित या प्रतिनियुक्त कोई अभियंता (इंजीनियर) /अधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त परामर्शदाता या गुणता निगरानी एजेंसी या कोई अन्य व्यक्ति जिसे ठेके के तहत भंडार सामग्री के निरीक्षण के लिए क्रेता द्वारा उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए समय-समय पर प्राधिकृत किया गया हो ।

1.11 निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) से तात्पर्य ह निविदा आमंत्रण, निविदा की शर्त, ठेके की सामान्य शर्तें, ठेके की विशेष शर्तें, ठेके की अतिरिक्त शर्तें यदि कोई ह और इसमें उल्लिखित अन्य कोई दस्तावेज ।

1.12 "पक्षकार" से तात्पर्य ह ठेके की पार्टियां अर्थात ठेके में दिए गए ठेकेदार और क्रेता ।

1.13 "निष्पादन बंधपत्र बैंक गारंटी (पीबीबीजी)" से तात्पर्य ह आपूर्ति किए गए भंडार/संयंत्र के संतोषजनक निष्पादन हेतु ठेकेदार द्वारा इस दस्तावेज में उल्लिखित रूप और तरीके में प्रस्तुत बयाना राशि ।

1.14 "क्रेता" से तात्पर्य ह भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यरत तथा निदेशक, क्रय एवं भंडार, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार जो उस समय क्रय एवं भंडार निदेशालय के प्रशासनिक प्रभारी हों या अन्य कोई प्राधिकृत अधिकारी और इसमें उनका उत्तराधिकारी या उनके द्वारा नियत व्यक्ति शामिल ह।

1.15 जमानत जमा बैंक गारंटी (एसडीबीजी) से तात्पर्य ह ठेके के संतोषजनक निष्पादन हेतु ठेकेदार द्वारा इस दस्तावेज में उल्लिखित रूप और तरीके में प्रस्तुत राशि ।

1.16 "भंडार" या "संयंत्र" से तात्पर्य ह ठेके में निर्दिष्ट सामग्री, सामान, मशीनरी, संयंत्र उपकरण या उसका भाग जिसके लिए ठेकेदार ने ठेके के तहत सहमति दी हो ।

1.17 "उप-ठेकेदार" से तात्पर्य ह ठेके के संबंध में क्रेता के पूर्व अनुमोदन से ठेकेदार द्वारा नियोजित कोई ठेकेदार ।

दो-भाग निविदा

अनुभाग ए

निविदा आमंत्रण और निविदा की शर्तें

अनुक्रमणिका

खण्ड सं.	खण्ड शीर्षक	पृष्ठ सं.
1.	निविदा आमंत्रण	7
2.	ईएमडी (बयाना राशि जमा)	7
3.	निविदाएं प्रस्तुत करने का तरीका तथा पद्धति	7
4.	कीमत	8
5.	भुगतान की शर्तें	8
6.	सशर्त छूट	9
7.	बोलियों की वैधता	9
8.	एक बोली प्रति बोलीकर्ता	9
9.	अर्हक आवश्यकताएं	9
10.	बोली-पूर्व बैठक	9
11.	बोली खोलना	10
12.	छुट्टियों की घोषणा	10
13.	निविदा का मूल्यांकन	11
14.	मात्रा	12
15.	संस्थापन/परिनिर्माण तथा कमिशनन	12
16.	जाँच प्रमाण पत्र	13
17.	प्रचालन/अनुदेश मैनुअल	13
18.	पुस्तिका/कैटलॉग	13
19.	बोली की स्वीकृति	13
20.	वैधानिक उगाहियाँ जैसे माल एवं सेवा कर	13
21.	सीमा-शुल्क	15
22.	वैधानिक उगाहियों में उतार-चढ़ाव	15
23.	प्रमाणीकरण	15
24.	भारतीय मुद्रा में ठेके के लिए भंडार सामग्री की सुपुर्दगी (डिलिवरी)	16
25.	भारतीय बोलीकर्ता द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज	16
26.	क्रय/कीमत वरीयता	16
27.	नि:शुल्क जारी सामग्री (एफआईएम)	17

28.	विदेशी ठेकेदार की ओर से भारतीय एजेंटों से प्राप्त बोलियां	19
29.	परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 18 के तहत वर्गीकृत 'प्रतिबंधित सूचना' तथा सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 5 के तहत सरकारी गुप्तता	19
30.	परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी भी संस्थान के नाम का प्रयोग प्रचार के उद्देश्य से, बिना अनुमति के करने पर प्रतिबंध	19
31.	गोपनीयता	20
32.	प्रचार	20
33.	निर्यात लाइसेंस/निर्यात की अनुमति	20
34.	अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र	21
35.	क्रेता की सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन	21
36.	उद्गम देश	21
37.	ठेके के नियम एवं शर्तें	21
38.	नमूने	22
39.	बैंकरों का ब्यौरा	22
40.	ड्राइंग प्रस्तुत करना	23
41.	उप-ठेका देना	23
42.	दुकान/फैक्टरी मूल्यांकन, गुणवत्ता जांच/निरीक्षण और प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करना	23
43.	पैकिंग	23
44.	क्रेता के तकनीकी विनिर्देशों से विचलन	24
45.	ठेके के वाणिज्यिक निबंधन एवं शर्तों का समायोजन	24
46.	निविदा में भारतीय/विदेशी बोलीकर्ता की सहभागिता	24
47.	सुपुर्दगी की शर्त	25
48.	एजेंसी कमीशन	26

1. निविदा आमंत्रण

1.1 भारत के राष्ट्रपति के लिए और की ओर से निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार क्रेता के तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार ठेके के निष्पादन के लिए बोलियां आमंत्रित करते हैं । ठेके की शर्तें, जो निविदा के बाद दिए जाने वाले ठेके को शासित करेगी, एनआईटी में दी गई हैं । जो बोलीकर्ता एनआईटी में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अपनी बोलियां प्रस्तुत करने की स्थिति में ह□उनसे अनुरोध ह□कि वे निविदा में उल्लिखित तरीके और पद्धति से अपनी बोलियां प्रस्तुत करें ।

2. ईएमडी (बयाना राशि जमा)

2.1 बयाना जमा राशि जब भी मांगी जाती ह□उसे एनआईटी में निर्दिष्ट रूप और तरीके से, भाग लेने वाले बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि एनआईटी में उल्लिखित पते पर निर्धारित समय और तिथि से पहले क्रेता तक पहुंच सके।

2.2 उपरोक्त खंड सं 2.1 के अनुसार बयाना जमा राशि के प्राप्त न होने की स्थिति में, नीचे खंड संख्या 2.3 में दिए दिए गए मामलों को छोड़कर, बिना बोलीकर्ता को सूचना दिए बोली अस्वीकृत की जा सकती ह□।

2.3 निम्नलिखित श्रेणियों के बोलीकर्ताओं को बयाना जमा राशि जमा करने से छूट दी गई ह□

2.3.1 जिन बोलीकर्ताओं का, परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय एवं भंडार निदेशालय के साथ वैध पंजीकरण ह□

2.3.2 एमएसई द्वारा उद्पादित एवं उपलब्ध करवाये जाने वाली वस्तुओं के प्रापण एवं सेवाओं के संबंध में एमएसएमई या एनएसआईसी या उद्योग आधार के साथ वैध पंजीकरण वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम तथा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के मामलों में, सरकारी नीतियों के अनुसार छूट के पात्र हैं ।

2.3.3 भारतीय मुद्रा को छोड़कर दूसरी मुद्राओं में सीधे बोली जमा करने वाले विदेशी बोलीकर्ता (अपने भारतीय एजेंट या भारतीय समकक्ष या भारतीय सब्सिडी के माध्यम से नहीं)

2.4 बयाना जमा राशि की जब्ती

2.4.1 यदि बोलीकर्ता अपनी बोली की वैधता अवधि के भीतर अपनी बोली वापस लेता ह□या उसके द्वारा निविदा में उल्लिखित किसी बिंदु का विचलन होता ह□ह□या वह उसमे किसी प्रकार का संशोधन करता ह□तो बयाना जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा ।

2.4.2 यदि सफल बोलीकर्ता आवश्यक प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने में विफल रहता ह□तो प्रस्तुत की गई बयाना जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

2.5 बयाना जमा राशि की वापसी

2.5.1 जिन बोलीकर्ताओं के प्रस्ताव भाग- II (मूल्य) खोलने के योग्य नहीं हैं, उनकी बयाना जमा राशि, प्रस्ताव भाग- I (तकनीकी-वाणिज्यिक) के मूल्यांकन पूरा होने और भाग II (मूल्य) खोलने के तीस दिनों के भीतर वापस कर दिए जाएंगे ।

2.5.2 जिन बोलीकर्ताओं की भाग - II (मूल्य) बोलियां खोली गई हैं, लेकिन ठेका जारी करने हेतु उनकी बोल पर विचार नहीं किया गया है, उनकी बयाना जमा राशि निविदा को अंतिम रूप देने के बाद वापस कर दी जाएगी।

2.5.3 जैसा कि ठेके में कहा गया है सफल बोलीकर्ताओं की बयाना जमा राशि प्रतिभूति जमा राशि के जमा करने के तीस दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी ।

3. निविदाएं प्रस्तुत करने का तरीका तथा पद्धति

3.1 इस निविदा आमंत्रण की प्रतिक्रिया में प्रस्तुत सभी बोलियां दो-भागों में ऑन लाइन अंग्रेजी में निम्नानुसार प्रस्तुत की जानी चाहिएं :

3.2 **भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक)** : निविदा के इस भाग में सभी तकनीकी विवरण, तकनीकी विनिर्देश, ड्रॉइंग विनिर्देश, पहले आपूर्ति किए गए उसी तरह की भंडार सामग्री का संदर्भ और मात्रा, ड्रॉइंग प्रस्तुत करने तथा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय, विनिर्माण तथा सुपुर्दगी अवधि, निरीक्षण/जाँच प्रक्रिया, हिस्से-पुर्जों की मदवार सूची, क्रय के लिए बोलीकर्ता द्वारा संस्तुत मात्रा, कीमत की शर्तें, भुगतान का तरीका तथा शर्तें, प्रेषण का तरीका शामिल होंगे, लेकिन इसमें 'कीमत' का विवरण नहीं दिया जाना है। बोलीकर्ता नोट कर लें कि बोली का यह भाग पूरी तरह से तकनीकी-वाणिज्यिक है।

3.3 बोलीकर्ता बोली के भाग-1 के रूप में अपलोड किए गए दस्तावेज में भंडार सामग्री का मूल्य अथवा वित्तीय बोली का उल्लेख नहीं करेगा । यदि बोलीकर्ता, बोली के भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक) में भंडार सामग्री की कीमत या वित्तीय बोली शामिल करता है, तो बोलीकर्ता को कोई भी सूचना दिए बिना ऐसी बोलियों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

3.4 बोली का भाग-II (कीमत), क्रेता द्वारा उपलब्ध कराए गए फार्मेट के अनुसार ही ऑन लाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

3.5 बोलीकर्ता कीमत बोली प्रपत्र में आवश्यक उपसाधन एवं हिस्से-पूर्जों की एकमुश्त लागत जहां भी लागू हो, का उल्लेख करेगा जिससे बोली के भाग-II में क्रेता के तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार बोली सभी प्रकार से पूर्ण हो जाए । यदि भंडार सामग्री/मुख्य उपकरण की कीमत का विवरण, उपसाधन और हिस्से-पूर्जों की मात्रा और यूनिट, कीमत सहित सूची, यदि कोई है, बोली के भाग-II (कीमत) में पृथक दस्तावेज के रुप में अपलोड किए जाने चाहिए ।

3.6 यदि बोलीकर्ता तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के किसी स्वरूप में किसी परिवर्तन का उल्लेख करता है या बोली के भाग-II में तकनीकी-वाणिज्यिक बोली में किसी तरीके/स्वरूप में परिवर्तन का उल्लेख करते हुए कोई तकनीकी दस्तावेज अपलोड करता है, तो ऐसी बोली बोलीकर्ता को सूचित किए बगैर अस्वीकार कर दी जाएगी ।

3.7 बोलीकर्ता भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक) में दी गई भंडार सामग्री के विवरण के साथ बोली के भाग-II (कीमत) में दी गई भंडार सामग्री कीमतों का सह-संबंध स्थापित करेगा, जो क्रम संख्या दे वही क्रम संख्या उस मद की कीमत के लिए भाग II (कीमत) में भी दें ताकि क्रेता यह पहचान सके कि बोली के भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक) में किस भंडार सामग्री के लिए कितनी कीमत कोट की गई ह।

3.8 बोली के भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक) और भाग - II (कीमत) दोनों एनआईटी में इसकी प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट तारीख एवं समय तक या उससे पहले ऑनलाइन साथ-साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

4. कीमत

4.1 कोट की गई कीमत ठेके के चालू रहने के दौरान **निश्चित** होनी चाहिए ।

5. भुगतान की शर्तें

5.1 इस निविदा के संबंध में की गई आपूर्ति के लिए मानक भुगतान की शर्तें प्रपत्र सं. क्रभनि पी-100 में दिए अनुसार होंगी ।

5.2 एनआईटी में उल्लिखित भुगतान की शर्त के अलावा अन्य भुगतान की शर्त वाली बोलियों को बोलीकर्ता को सूचित किए बगैर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

6. सशर्त छूट

6.1 यदि बोलीकर्ता, निश्चित अवधि के अंदर या निश्चित भुगतान शर्तों, सुपुर्दगी तारीख, मात्रा आदि पर बोली स्वीकार करने संबंधी सशर्त छूट का प्रस्ताव देता ह तो क्रेता द्वारा बोली का मूल्यांकन करते समय ऐसे सशर्त छूट पर विचार नहीं किया जाएगा ।

7. बोलियों की वैधता

7.1 बोली स्वीकृति के लिए एनआईटी में उल्लिखित अवधि हेतु वैध होनी चाहिए । इससे कम वैधता अवधि वाली बोलियों को बोलीकर्ता को सूचित किए बगैर अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

8. एक बोली प्रति बोलीकर्ता

8.1 प्रत्येक बोलीकर्ता एक निविदा के लिए केवल एक बोली प्रस्तुत करेगा । एक बोलीकर्ता जो एक ही निविदा के लिए एक से अधिक बोली प्रस्तुत करेगा, उसकी सभी बोलियों को बोलीकर्ता को सूचित किए बगैर अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

8.2 यदि एक बोलीकर्ता दो मालिकों की ओर से बोली प्रस्तुत करता ह या यदि बोलीकर्ता या उसका सहयोगी एक ही निविदा में भाग लेता ह या ऐसे उदाहरण जहां पर किसी बोलीकर्ता की भागीदारी से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ह तो बोलीकर्ता को सूचना दिए बगैर बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

9. अर्हक आवश्यकताएं

9.1 बोलीकर्ता को निविदा में दिए अनुसार अपनी अर्हता सिद्ध करने के लिए आवश्यक सभी समर्थित दस्तावेज/सूचना ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी ।

10. बोली-पूर्व बैठक

10.1 बोलीकर्ता को स्पष्टीकरण देने के लिए बोली-पूर्व बठक जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से विनिर्दिष्ट न किया गया हो एनआईटी में दी गई तारीख और समय पर ऑनलाइन पर आयोजित की जाएगी । इस निविदा में भाग लेने वाले बोलीकर्ता और जिन्होंने हमारे ई-निविदा पोर्टल https://etenders.dpsdae.gov.in में नामांकन किया ह लॉगिन कर बोली-पूर्व बठक में भाग ले सकते हैं । बोलीकर्ताओं से अनुरोध ह कि वे उपलब्ध कराए गए ईमेल पते पर पहले ही तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए निर्धारित तारीख और समय के अंदर भेज दें । अन्य किसी प्रकार से पूछे गए प्रश्न/मांगा गया स्पष्टीकरण/जानकारी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा । बोली-पूर्व बातचीत विवरण के अलावा, अन्य अतिरिक्त जानकारी जो क्रेता द्वारा आवश्यक समझा जाए, ई-निविदा पोर्टल पर संबंधित निविदा आईडी के संबंध में 'बोली-पूर्व' टब के अंतर्गत अपलोड कर दी जाएगी । यदि बोली-पूर्व बठक के परिणामस्वरूप यदि निविदा में कोई संशोधन आवश्यक हो जाता ह तो ई-निविदा पोर्टल पर संबंधित निविदा आईडी के संबंध में अपलोड किया जाएगा । बोलीकर्ताओं से अनुरोध ह कि वे ई-निविदा पोर्टल (https://etenders.dpsdae.gov.in) पर बार-बार विजिट कर स्वयं को अद्यतन करते रहें । यह भी नोट किया जाए कि प्रश्न प्रस्तुत करने की तारीख और समय के बाद किसी भी प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया जाएगा । अत: बोलीकर्ता निविदा आवश्यकताओं को समझने के लिए अपने स्वयं के हित में बोली-पूर्व बठक में भाग लें ।

11. बोली खोलना

11.1 जब तक अन्यथा बोली खुलने की तारीख को बदलकर पहले नहीं किया जाता या बाद के लिए स्थगित नहीं किया जाता, बोली एनआईटी में निर्दिष्ट तारीख और समय पर ही ऑनलाइन, दो चरणों में खोली जाएगी ।

11.2 पहले चरण में बोली का भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक), एनआईटी में बोली खोलने के लिए निर्दिष्ट तारीख तथा समय पर खोला जाएगा ।

11.3 जिन बोलीकर्ताओं ने बोली की प्राप्ति के लिए निर्धारित तारीख तथा समय के अंदर अपनी बोलियां प्रस्तुत की हैं वे सभी, निविदा खुलने के बाद, बोलीकर्ताओं की सूची देख सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन निविदा में भाग लिया ह।

11.4 भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक) के मूल्यांकन के बाद जिन बिक्रेताओं की बोलियां क्रेता द्वारा तकनीकी रूप से उपयुक्त पाई जाती ह□उन्हें भाग-II (कीमत) खोलने के लिए निर्धारित तारीख और समय के बारे में सूचना दी जाएगी । ई-निविदा पोर्टल पर भी निर्धारित तारीख और समय सूचित किया जाएगा ।

11.5 बोली का भाग II (कीमत) ऑनलाइन केवल उन बोलीकर्ताओं द्वारा देखा जा सकता ह□जिनकी बोली का भाग I क्रेता द्वारा तकनीकी रूप से सक्षमकार्य पाया गया ह□और उसकी सूचना क्रेता द्वारा दी गई ह□।

12. छुट्टियों की घोषणा

12.1 यदि बोली प्राप्त करने तथा खोलने की तारीख (तारीखों) को किन्हीं प्रशासनिक कारणों से निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय द्वारा अचानक छुट्टी घोषित की जाती ह□ तो ऐसी स्थिति में बोली प्राप्ति/खोलने की नियत तारीख स्वत: ही स्थगित होकर अगला कार्य दिवस हो जाएगी ।

13. निविदा का मूल्यांकन

13.1 तकनीकी स्पष्टीकरण

बोली का भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक) खोलने के बाद, क्रेता के तकनीकी प्राधिकारियों/प्रयोक्ता विभाग के लिए बोलीकर्ता से स्पष्टीकरण मांगना यदि आवश्यक हो जाता ह□ तो तकनीकी प्राधिकारी/प्रयोक्ता विभाग द्वारा बोलीकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा । ऐसी स्थिति में बोलीकर्ता, सभी तकनीकी सूचना/स्पष्टीकरण संबंधित तकनीकी प्राधिकारी प्रयोक्ता विभाग को, सीधे भेजेंगे ताकि वह तकनीकी प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित, तारीख और समय तक या उससे पहले उनके पास पहुंच सके और उसकी एक प्रति क्रेता को भेजेंगे । यदि तकनीकी प्राधिकारियों द्वारा बोलीकर्ता से मांगा गया तकनीकी स्पष्टीकरण/विवरण इसकी प्राप्ति के लिए नियत तारीख और समय तक या उससे पहले तकनीकी प्राधिकारियों के पास नहीं पहुंचता ह□ तो ऐसी बोली बिना किसी सूचना के क्रेता के विवेकाधिकार से अस्वीकार कर दी जाएगी । तथापि, बोलीकर्ता इस चरण पर बिल्कुल नई बोली प्रस्तुत नहीं करेगा । इस चरण पर नई बोली क्रेता द्वारा अस्वीकृत कर दी जाएगी ।

13.2 बोली का मूल्यांकन निविदा के साथ संलग्न तकनीकी विनिर्देशों और संपूर्ण लागत पर आधारित होगा ।

13.3 तुलना (हवाई/समुद्री/शिपमेंट) के लिए संपूर्ण लागत का निर्धारण

13.3.1 हवाई/समुद्री मालभाड़ा के लिए निम्न प्रकार से लोडिंग होगी

13.3.1.1 एफसीए/एफओबी कीमत + एफसीए/एफओबी कीमत के 10% की दर से हवाई/समुद्री मालभाड़ा (या बोलीकर्ता द्वारा कोट किए गए समुद्री मालभाड़ा) = सीएफआर कीमत

13.3.1.2 सीएफआर कीमत + सीएफआर कीमत के 1% की दर से बीमा = सीआईएफ कीमत

13.3.1.3 सीआईएफ कीमत + कर और शुल्क जो भी लागू हो = डीडीपी

13.3.1.4 [डीडीपी + सीआईएफ कीमत के 1% की दर से निकासी प्रभार + सीआईएफ कीमत के 1% की दर से इनलैंड मालभाड़ा] X विनिमय दर = भारतीय रूपए में संपूर्ण लागत

विनिमय दर से तात्पर्य ह□भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सूचित किए अनुसार और जो बोली खुलने की तारीख पर लागू हो, कोट की गई मुद्रा की क्रय कीमत ।

13.4 क्षमता तथा वित्तीय सामर्थ्य

13.4.1 यदि यह पाया जाता ह□कि बोलीकर्ता के पास अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं, क्षमता, सामर्थ्य नहीं ह□तथा उसका वित्तीय सामर्थ्य संतोषजनक नहीं ह□ या एनआईटी में उल्लिखित योग्यता मानदण्ड को पूरा नहीं करती हैं या वारंटी दायित्वों का अनुपालन नहीं करती हैं तो ऐसी बोलियां, बोली के मूल्यांकन के दौरान क्रेता द्वारा अस्वीकृत की जा सकती ह□।

13.5 पिछला निष्पादन

13.5.1 यदि, बोलीकर्ता का पिछला निष्पादन गुणता, सुपुर्दगी तारीख, वारंटी दायित्वों तथा ठेके की निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करने के संदर्भ में संतोषजनक नहीं पाया गया हो, तो ऐसी बोलियों के मूल्यांकन के दौरान क्रेता द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता ह□।

13.6 आपूर्ति के बाद का निरीक्षण

13.6.1 बोलीकर्ता को आपूर्ति के बाद निरीक्षण की आवश्यकता के बारे में बोली में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए । क्रेता को अधिकार होगा कि वह ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई भंडार सामग्री तक, आपूर्ति के बाद ठेकेदार या इसके प्रतिनिधि या किसी तीसरी पार्टी की पहुंच से मना कर दें । जो बोली आपूर्ति के बाद निरीक्षण की आवश्यकता का अनुपालन नहीं करेगी उसे बोली के मूल्यांकन के दौरान क्रेता द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता ह□।

14. मात्रा

14.1 निविदा में दर्शाई गई मात्रा केवल अनुमानित ह□तथा निविदा में उल्लिखित भंडार सामग्री की एक या अधिक मदों या ऐसी भंडार सामग्री की किसी एक या एक से अधिक मदों के अंश को क्रेता द्वारा स्वीकार किया जा सकता ह□। ऐसी मद या मदों या किसी एक या अधिक मदो के ऐसे अंश या अंशों को, जो क्रेता द्वारा स्वीकार किया गया हो, की आपूर्ति क्रेता को करने के लिए बोलीकर्ता बाध्य होगा ।

15. संस्थापन/परिनिर्माण तथा कमिशनन

15.1 जिन मामलों में बोलीकर्ता द्वारा भंडार सामग्री का संस्थापन तथा कमिशनन या संस्थापन तथा कमिशनन का पर्यवेक्षण या परिनिर्माण और कमिशनन किया जाना क्रेता के निविदा आमंत्रण में शामिल ह। उन मामलों में बोलीकर्ता द्वारा भंडार की आपूर्ति की कीमत और संस्थापन तथा कमिशनन के लिए या संस्थापन तथा कमिशनन के पर्यवेक्षण का, जो भी मामला हो, प्रभार स्पष्ट रूप से और अलग से कोट किया जाना चाहिए ।

15.2 प्रस्तावित भंडार की कीमत में संस्थापन तथा कमिशनन या इसका पर्यवेक्षण या परिनिर्माण और कमिशनन का प्रभार शामिल नहीं किया जाना चाहिए । यदि अलग से कोट नहीं किया जाता ह तो क्रेता पूर्ण ठेकों मूल्य पर यथालागू करों को काट लेगा ।

15.3 ऐसे ठेकों के मामले में, जिसमें विदेशी ठेकेदार सहित ठेकेदार द्वारा संस्थापन तथा कमीशनन या इसका पर्यवेक्षण या परिनिर्माण और कमिशनन किया जाना शामिल हो और ठेकेदार द्वारा उसके लिए अलग से पहचान योग्य प्रभार कोट किए गए हों, ठेकेदार को भारत में लागू संबंधित अधिनियम विधि के अधीन, कार्य की जिम्मेदारी लेते समय प्रचलित दरों के अनुसार कर देयता वहन करनी होगी ।

15.4 जब ठेके के कार्यक्षेत्र में संस्थापन तथा कमीशनन शामिल हो, तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि क्रेता द्वारा जब भी संस्थापन तथा प्रचालन के लिए कहा जाए, तब वह ऐसा करे ।

16. जाँच प्रमाण पत्र

16.1 जहाँ कहीं भी जाँच तथा जाँच प्रमाण-पत्र की आवश्यकता क्रेता को हो, वहां तकनीकी विनिर्देश की आवश्यकता के अनुसार ठेकेदार द्वारा जाँच करवाई जाएगी और जाँच प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।

17. प्रचालन/अनुदेश मैनुअल

17.1 जिस भंडार सामग्री के मामले में, भंडार सामग्री को सही ढंग से प्रयोग करने के लिए क्रेता को उसके अनुदेश/प्रचालन मनुअल की आवश्यकता पड़ती ह। उस भंडार सामग्री की आपूर्ति के समय उसके साथ उसका अनुदेश/प्रचालन मनुअल भी ठेकेदार को नि:शुल्क प्रस्तुत करना होगा ।

18. पुस्तिका/कैटलॉग

18.1 बोलीकर्ता सभी आवश्यक कटलॉग/ड्राइंगें, तकनीकी साहित्य/डाटा शीट जो उनकी तकनीकी बोली के पूर्ण और सही मूल्यांकन के लिए आवश्यक समझे जाएं, अपलोड करेगा । यदि इस शर्त का अनुपालन नहीं किया गया तो बोली पर ध्यान नहीं भी दिया जा सकता ।

19. बोली की स्वीकृति

19.1 क्रेता, निम्नतम या कोई अन्य बोली स्वीकार करने के लिए किसी बाध्यता के अधीन नहीं होगा और किसी भी बोली को कोई भी कारण बताए बिना, चाहे जो भी हो, पूर्णत: या अंशत: स्वीकार या अस्वीकार करने का हकदार होगा ।

19.2 क्रेता को अधिकार होगा कि वह बोली को अस्वीकार कर दें जो इस दस्तावेज में दी गई शर्तों या एनआईटी में संलग्न बोलीकर्ताओं के लिए अनुदेशों, यदि कोई हो, के अनुसार न हो । इसमें एनआईटी में मांगे अनुसार जमानत राशि प्रस्तुत न किया जाना भी शामिल ह।

<u>खंड क्रमांक 20.0 से लेकर 24.0 केवल उन बोलियों पर लागू हैं जो भारतीय रूपए में कोट की गई हों ।</u>

20. वैधानिक उगाहियाँ जैसे माल एवं सेवा कर

20.1 मूल सुपुर्दगी तारीख के अंदर क्रेता के लिए लागू दर पर वधानिक उगाहियां क्रेता द्वारा स्वीकार की जाएंगी ।

20.2 माल एवं सेवा कर

20.2.1 कुछ भंडार सामग्री के लिए की गई खरीद के संबंध में क्रेता, सरकार द्वारा जारी एवं समय-समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार रियायत दर पर जीएसटी के लिए हकदार ह।

20.3 प्रत्येक मामले में रियायत/छूट लेने का निर्णय क्रेता के पूर्ण विवेक पर होगा । जब भी रियायत/छूट का उल्लेख ठेके में किया जाता ह क्रेता ठेकेदार को संबंधित प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगा । यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह भंडार सामग्री की सुपुर्दगी करने से पहले इसे क्रेता से प्राप्त कर ले, ऐसा न करने पर ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए अतिरिक्त कर की प्रतिपूर्ति क्रेता द्वारा नहीं की जाएगी ।

20.4 ठेकेदार द्वारा बिल के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र भुगतान अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे :

20.4.1 प्रमाणित किया जाता ह कि प्रभारित ब्रिक्री कर और शुल्क संबंधित अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत छूट प्राप्त नहीं ह तथा सभी सम्मिलित कर और शुल्क सहित और उसके कारण दावा की गई राशि संबंधित अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत देय राशि से अधिक नहीं ह।

बिल में दावा किए गए करों और शुल्कों की राशि के संबंध में यह भी प्रमाणित किया जाता ह कि कोई भी दावा वापसी के लिए लंबित नहीं ह या करों और शुल्कों के समायोजन के लिए ग्राह्य नहीं ह। प्रमाणित किया जाता ह कि सरकार से करों और शुल्कों के रूप में ली गई राशि की पूर्ण या आंशिक वापसी मिलने पर हम हमारे द्वारा प्राप्त उस रिफंड राशि को क्रेता को वापस कर देंगे ।

प्रमाणित किया जाता ह□कि हम ठेकेदार बीजक (इनवॉइस) में दिए गए करों और शुल्कों को संबंधित प्राधिकारी को भुगतान करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और किसी भी दावे के संबंध में क्रेता की क्षतिपूर्ति करेंगे और किसी भी चरण पर संबंधित प्राधिकारियों से इसकी देयता के संबंध में बचाएंगे ।

प्रमाणित किया जाता ह□कि क्रेता द्वारा की गई पिछली प्रतिपूर्ति के संबंध में ठेकेदार को किए गए करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति के संबंध में कोई धन वापसी प्राप्त नहीं हुई ह□।

कर प्राधिकारियों से प्राप्त प्रतिपूर्ति हमारी ओर से वापस न किए जाने पर, हम, ठेकेदार क्रेता को अनुमति देते हैं कि ठेकेदार को कोई और निदेश दिए बिना प्राधिकारियों द्वारा वापस की गई धनराशि के बराबर की राशि उनके इस या किन्हीं अन्य लंबित सरकारी ठेकों के बकाया बिलों में से काट लें और विक्रेता द्वारा इस कारण से कोई विवाद नहीं किया जाएगा ।

यह भी प्रमाणित किया जाता ह□कि हम सरकार के अधिनियमों के सभी प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों विशेषकर लाभ न प्राप्त करने के प्रावधानों का, पालन करते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता ह□कि हम (हमारी शाखा या एजेंट) ---------- ---------- (पता) पंजीकरण संख्या ---------- के तहत ---------- राज्य में पंजीकृत हैं ।

(ठेकेदार की मुहर तथा हस्ताक्षर)

21. सीमा-शुल्क

21.1 यदि कोई भारतीय बोलीकर्ता, पूर्णत: आयातित सामग्री की आपूर्ति के लिए भारतीय रुपयों में बोलीप्रस्तुत करता ह□ तो उसे अंतिम स्थल तक भंडार की नि:शुल्क तथा सुरक्षित सुपुर्दगी के लिए कीमत कोट करनी चाहिए । विदेशी ठेकेदार एवं मूल (उद्गम) देश का नाम भी उल्लेख करना होगा । तथापि, क्रेता सीमा शुल्क के भुगतान से रियायत/छूट लेने के लिए कोई प्रमाणपत्र प्रदान नहीं करेगा न ही उसकी प्रतिपूर्ति करेगा ।

21.2 समुद्री बिक्री (हाई सीज़) आधार पर प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

22. वैधानिक उगाहियों में उतार-चढ़ाव

22.1 जब तक कि ठेके के निबंधन में स्पष्ट रूप से स्वीकार न किया गया हो, क्रेता, ठेका की गई भंडार सामग्री के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल और/या सीधे उपयोग में लाए गए घटकों पर

ठेके की अवधि के दौरान लगाई गई वैधानिक उगाहियों के कारण और/या इनमें वृद्धि के कारण किए गए किसी भी दावे के संदर्भ में प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

23. प्रमाणीकरण

23.1 यदि कोई व्यक्ति बोलीकर्ता की ओर से निविदा के संबंध में बोली या किसी अन्य दस्तावेज पर डिजीटली हस्ताक्षर करके बोली को अपलोड करता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसे ऐसा करने का प्राधिकार प्राप्त है और यह कार्य बोलीकर्ता पर बाध्य होगा । बोलीकर्ता इससे उत्पन्न किसी भी परिणाम के वैधानिक दायित्वों से क्रेता को बचाएगा ।

23.2 विदेशी बोलीकर्ता भारत में वैध डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए विवरण हेतु इस भाग का खण्ड 46 का भी संदर्भ लें ।

23.3 जाँच करने पर या बाद में यदि यह पाया जाता है कि उस व्यक्ति को हस्ताक्षर करने का प्राधिकार प्राप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्रेता, अन्य सिविल तथा अपराधिक उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर ठेका रद्द कर सकता है तथा बोलीकर्ता हस्ताक्षर करने वाले को पूरी लागत तथा क्षति के लिए संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

24. भारतीय मुद्रा में ठेके के लिए भंडार सामग्री की सुपुर्दगी (डिलिवरी)

24.1 बोलीकर्ता ध्यान दें कि यदि बोलीकर्ता क्रेता द्वारा निर्धारित सुपुर्दगी तारीख के अंदर ठेका पूरा करने के लिए प्रस्ताव नहीं देता है तो क्रेता द्वारा बोली को अस्वीकार किया जा सकता है। क्रेता द्वारा उल्लिखित सुपुर्दगी स्थान तक भंडार सामग्री की सीधी तथा सुरक्षित सुपुर्दगी पर लगने वाले सभी प्रभार बोलीकर्ता द्वारा कोट की गई दर में शामिल होने चाहिए । यदि बोलीकर्ता चाहता है तो सुपुर्दगी स्थान तक भंडार के परिवहन तथा सुरक्षित सुपुर्दगी के लिए अलग से प्रभार कीमत बोली फॉर्मेट (भाग II) के उचित कॉलम में प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे प्रभार का उल्लेख न करने पर बोलीकर्ता अलग से सुरक्षित सुपुर्दगी प्रभार का दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा । क्रेता न तो पारगमन (ट्रांजिट) बीमा के लिए कोई जिम्मेदारी लेगा और न ही वह अलग से इसके लिए भुगतान करेगा । एनआईटी में उल्लिखित सुपुर्दगी शर्त के अलावा कोई अन्य सुपुर्दगी शर्त, क्रेता स्वीकार नहीं करेगा ।

24.2 भंडार सामग्री को न तो 'क्रेता के जोखिम पर' भेजा जाएगा और न ही 'स्वयं' के नाम पर प्रेषित (कनसाइन) किया जाएगा । सामग्री का प्रेषण, ठेके में उल्लिखित परेषिती को ही किया जाना चाहिए । इस शर्त का अनुपालन नहीं किए जाने पर ठेकेदार को इसके परिणामस्वरूप ऐसे सभी अर्थ दंड/खर्च जैसे, विलंब-शुल्क, घाट-शुल्क आदि का वहन करना होगा, जिसके लिए क्रेता को खर्च करना पड़ा हो ।

24.3 पारगमन के दौरान भंडार को हुई क्षति या नुकसान के बारे में परेषिती, जितना जल्दी हो सके और अधिक से अधिक भंडार गंतव्य पर पहुँचने की तारीख से 30 दिनों के अंदर, ठेकेदार को

सूचित करेगा ताकि ठेकेदार, बिना किसी प्रभार के, यथोचित उन त्रुटियों/क्षति की मरम्मत/सुधार कर सके या उसे बदल कर दे सके । यदि ठेकेदार चाहता है कि भंडार उसे वापस कर दिया जाए तो परिवहन आदि पर होने वाले सभी खर्चों का वहन ठेकेदार को करना होगा तथा ठेकेदार को इस संबंध में क्रेता द्वारा किए जा चुके सभी भुगतान के लिए यदि कोई है, अनुलग्नक में दिए प्रपत्र के अनुसार बैंक गारंटी भी प्रस्तुत करनी होगी ।

25. भारतीय बोलीकर्ता द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज

25.1 भारतीय बोलीकर्ता को बोली के साथ, पैन कार्ड/पत्र की प्रति तथा फैक्टरी पंजीकरण/लाइसेंस या दुकान स्थापना प्रमाण पत्र/जीएसटीएन इत्यादि की प्रति, जो भी लागू हो, अपलोड करना आवश्यक है।

26. क्रय/कीमत वरीयता

26.1 उद्योगों को क्रय/कीमत वरीयता, बोली के खुलने के समय लागू भारत सरकार की नीति के अनुसार दी जाएगी बशर्ते उनकी बोली नीति की शर्तों के अनुसार हो ।

27. नि:शुल्क जारी सामग्री (एफआईएम) (यह शर्त केवल उन ठेकों पर लागू होगी जो क्रेता द्वारा नि:शुल्क जारी सामग्री (एफआईएम) से निर्मित भंडार सामग्री की आपूर्ति के संबंध में हो ।)

27.1 जब भी ठेके में उल्लिखित होता है कि भंडार सामग्री के निर्माण के लिए क्रेता द्वारा भारतीय ठेकेदार को नि:शुल्क सामग्री (एफआईएम) जारी की जाएगी, तो ऐसी नि:शुल्क जारी सामग्री की रक्षा के उपाय के रूप में भारतीय ठेकेदार को अपनी लागत पर अनुलग्नक में दिए फार्मेट के अनुसार बैंक गारंटी या एक बीमा पॉलिसी लेकर जमा करानी होगी । यह गारंटी पॉलिसी एफआईएम के पूरे मूल्य के लिए होगी और इस बीमा पॉलिसी या बैंक गारंटी के तहत विशेष रूप से निम्नलिखित जोखिम शामिल होंगे और यह सुपुर्दगी की तारीख से छ: महीने बाद तक वैध होगी ।

27.2 **शामिल किए जानेवाले जोखिम :** जिस समय एफआईएम ठेकेदार के कब्जे में हो, इसमें पारगमन (ट्रांजिट) अवधि भी शामिल है उस समय आग, चोरी, दंगे, सेंधमारी, हड़ताल, नागरी हंगामे, आतंकवादी गतिविधि, प्राकृतिक विपदाओं आदि के कारण एफआईएम को होने वाली हानि या क्षति और अन्य कारणों से होने वाली हानि या क्षति जैसे एफआईएम के ऊपर अन्य किसी वस्तु का गिरना आदि ।

बीमाकर्ता	:	(ठेकेदार का नाम)
लाभार्थी	:	निदेशक क्रय एवं भंडार निदेशालय

परमाणु ऊर्जा विभाग
भारत के राष्ट्रपति की ओर से

राशि जिसके लिए बीमा पॉलिसी/बैंक गारंटी प्रस्तुत की जानी ह	:	राशि का उल्लेख संबंधित ठेके में किया जाएगा ।

27.3 भारतीय ठेकेदार द्वारा उपरोक्त बीमा करवाए जाने के बावजूद, ठेकेदार क्रेता को वधानिक उत्तरदायित्वों से बचाएगा और जब तक इस ठेके का काम पूरा नहीं हो जाता और इसके लिए जारी की गई नि:शुल्क सामग्री में से बची हुई/अतिरिक्त तथा स्क्रप मदों को उसके पूरे हिसाब के साथ क्रेता को विधिवत वापस नहीं कर दिया जाता तब तक 'नि:शुल्क जारी सामग्री' के मूल्य के लिए क्षतिपूर्ति का वचन ठेकेदार द्वारा क्रेता को दिया जाना होगा । ठेकेदार नि:शुल्क सामग्री का उपयोग इस ठेके के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए नहीं करेगा और ऐसे किसी कार्य, ऐसी कार्रवाई या चूक में शामिल नहीं होगा या ऐसी कोई लापरवाही नहीं करेगा जिसके कारण/परिणामस्वरुप क्रेता को किसी प्रकार की हानि/क्षति हो सकती ह और यदि कहीं ऐसा हो जाए तो ठेकेदार, क्रेता द्वारा मूल्यांकित ऐसी किसी भी हानि/क्षति की क्रेता को पूरी तरह प्रतिपूर्ति/भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होगा । क्रेता का निर्णय अंतिम और ठेकेदार द्वारा स्वीकार्य होगा । नि:शुल्क जारी सामग्री ठेकेदार द्वारा प्राप्त किए जाने के बाद तथा जब तक यह सामग्री उसके कब्जे/नियंत्रण/अभिरक्षा में रहती ह उस पूरी अवधि के दौरान, वह इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा । 'नि:शुल्क जारी सामग्री' ठेकेदार के कार्यस्थल पर प्राप्त होने पर, वह एफआईएम की सही और सुरक्षित प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए इसका निरीक्षण करेगा । इसमें कोई विसंगति पाए जाने पर ठेकेदार तुरंत और अधिक से अधिक एफआईएम प्राप्ति की तारीख से 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट क्रेता को देगा । ठेकेदार इस बात की पूरी एहतियात बरतेगा कि उक्त नि:शुल्क जारी सामग्री जब तक उनके कब्जे/अभिरक्षा या नियंत्रण में ह तब तक किसी भी कारण से उस सामग्री की कोई हानि, ह्रास, क्षति या नुकसान न हो । नि:शुल्क जारी सामग्री का ठेकेदार द्वारा नियमित अंतराल पर समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा ताकि सामग्री का सुरक्षित संरक्षण और भंडारण सुनिश्चित हो सके और वह निरीक्षण रिपोर्ट बनाएगा । ठेकेदार एफआईएम को किसी अन्य सामान के साथ नहीं मिलाएगा, वास्तव में प्रयुक्त एफआईएम का पूरा और सही-सही हिसाब देगा तथा सुपुर्दगी अवधि के अंदर, बची हुई अप्रयुक्त एफआईएम एवं स्क्रप भी लौटाएगा । यदि सुपुर्दगी तारीख के अंदर बची हुई अप्रयुक्त एफआईएम और स्क्रेप को लौटाना संभव नहीं ह तो ठेकेदार एतदद्वारा आपूर्ति की गई एफआईएम की लागत और वास्तव में प्रयुक्त एफआईएम की लागत के बीच के अंतर को ठेकेदार को देय राशि से काटने के लिए प्राधिकृत

करता है। यदि नि:शुल्क जारी सामग्री को किसी प्रकार की हानि/क्षति होती है या वह खो जाती है तो उसकी वास्तविक रिप्लेसमेंट कीमत और बीमा कंपनी द्वारा क्रेता के पक्ष में निपटान किए गए दावे के बीच लागत अंतर की प्रतिपूर्ति/भरपाई करके ठेकेदार क्रेता को क्षतिपूर्ति करेगा । नि:शुल्क जारी सामग्री जब ठेकेदार के कब्जे/अभिरक्षा, नियंत्रण में थी तो उस समय किसी भी कारण से क्या एफआईएम को कोई हानि, नुकसान, क्षति पहुंची है या ह्रास हुआ है और यदि ऐसा हुआ है तो क्रेता को कितनी हानि हुई है इसकी मात्रा के संबंध में क्रेता का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा ।

27.4 जब भी ठेके में उल्लिखित होता है कि भंडार सामग्री के निर्माण के लिए क्रेता द्वारा विदेशी ठेकेदार को एफआईएम जारी की जाएगी तो ऐसी नि:शुल्क जारी सामग्री की रक्षा के उपाय के रूप में ठेकेदार को अपनी लागत पर बैंक गारंटी जमा करानी होगी । यह गारंटी एफआईएम के पूरे मूल्य के लिए होगी और इस बैंक गारंटी में उक्त खण्ड 27.2 और 27.3 में दिए जोखिम शामिल होंगे और यह सुपुर्दगी तारीख से छ: महीने बाद तक वैध होगी ।

27.5 ठेकेदार से बीमा पॉलिसी/बैंक गारंटी प्राप्त होने के बाद ही ठेकेदार को 'नि:शुल्क जारी सामग्री' (एमआईएम) जारी की जाएगी । ठेकेदार को अपने जोखिम और लागत पर क्रेता के परिसर से एफआईएम लेकर जाने और अपने परिसर तक उसके सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करनी होगी ।

28. विदेशी ठेकेदार की ओर से भारतीय एजेंटों से प्राप्त बोलियां

28.1 एजेंट, क्रय एवं भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में सूचीबद्ध होना चाहिए ।

28.2 भारतीय एजेंटों को इस निविदा के लिए केवल एक विदेशी ठेकेदार की ओर से कोट करने की अनुमति है।

28.3 यदि, अपने विदेशी ठेकेदार की ओर से भारतीय बोलीकर्ता या भारतीय एजेंट द्वारा बोली प्रस्तुत की जाती है, तो बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज **अपलोड** किए जाने आवश्यक है, ऐसा न करने पर बोलीकर्ता को सूचित किए बगैर उनकी बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

28.3.1 मूल विदेशी ठेकेदार तथा भारतीय एजेंट के बीच किए गए एजेंसी करार की प्रति जो देय एजेंसी कमिशन का प्रतिशत या मात्रा दर्शाए तथा जो कोट की गई कीमत में शामिल किया गया हो और विदेशी ठेकेदार की ओर से भारतीय एजेंट द्वारा बोली प्रस्तुत किए जाने के लिए विदेशी ठेकेदार से प्राप्त वैध प्राधिकार पत्र बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए । एजेंसी करार बोली खुलने की तारीख पर वैध होगा और ठेके के चालू रहने के दौरान वैध रहेगा ।

28.3.2 भारतीय एजेंट द्वारा जो 'बिक्री पश्चात सेवाएं' उपलब्ध कराई जानी हैं, उनका प्रकार तथा स्वरूप ।

28.3.3 क्रय एवं भंडार निदेशालय द्वारा जारी सूचीबद्ध प्रमाणपत्र ।

29. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 18 के तहत वर्गीकृत 'प्रतिबंधित सूचना' तथा सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 5 के तहत सरकारी गुप्तता

29.1 बोलीकर्ता या ठेकेदार या उसके उप-ठेकेदार, परामर्शदाता, सलाहकार या कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर, समय-समय पर यथासंशोधित उपरोक्त विधान के तहत दंडात्मक कार्रवाई आकर्षित होगी ।

30. परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी भी संस्थान के नाम का प्रयोग प्रचार के उद्देश्य से, बिना अनुमति के करने पर प्रतिबंध

30.1 बोलीकर्ता या ठेकेदार या उसके उप-ठेकेदार, परामर्शदाता, सलाहकार या कर्मचारियों या उनकी ओर से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी जन सूचना माध्यम जैसे प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन या इंटरनेट से प्रचार के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी भी संस्थान के नाम का प्रयोग, क्रेता के पूर्व लिखित-अनुमोदन के बगैर नहीं किया जाएगा ।

31. गोपनीयता

31.1 क्रेता द्वारा इस निविदा अथवा ठेके के संबंध में दिए गए आरेखों, विनिर्देशनों, आदिरूपों, नमूनों या किसी भी अन्य पत्राचार/ब्यौरा/सूचना आदि को बोलीकर्ता या ठेकेदार गुप्त रखेगा और क्रेता की, लिखित पूर्व-सहमति के बगैर यह किसी अन्य व्यक्ति/फर्म के सामने न तो प्रकट करेगा और न देगा । यह खंड, ठेकेदार या बोलीकर्ता के माध्यम से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर अर्थात ठेकेदार के बिक्रेता के उप-ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, सलाहकारों और कर्मचारियों पर भी लागू होगा ।

32. प्रचार

32.1 इस निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रचार बोली को अस्वीकार करने का कारण होगा।

33. निर्यात लाइसेंस/निर्यात की अनुमति

33.1 बोलीकर्ता या ठेकेदार की पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह विदेश में निर्मित भंडार सामग्री के लिए पोत परिवहन की व्यवस्था करने से पहले, संबंधित सरकार से यथा-आवश्यक निर्यात अनुमति/अनुज्ञप्ति/प्राधिकार प्राप्त कर लें । सामग्री की आपूर्ति के बाद किसी विदेशी

एजेंसी/प्राधिकारी द्वारा सामग्री का निरीक्षण किया जाना विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

33.2 यदि ठेकेदार निर्यात लाइसेंस/निर्यात अनुमति, लागू होने पर, प्राप्त करने में असफल हो जाता ह या ठेके का निष्पादन नहीं करता ह तो वह साख पत्र या उसी प्रकार के भुगतान के तरीके को स्थापित करने हेतु क्रेता द्वारा वहन सभी लागत की प्रतिपूर्ति करेगा ।

33.3 जिस देश में मूल रूप से भंडार सामग्री निर्माण की गयी ह उस देश की सरकार/सरकारी एजेंसियों को ठेकेदार/उनके विदेशी ठेकेदार द्वारा, निर्यात अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान कोई 'अंतिम उपयोग घोषणा' प्रस्तुत की गयी हो, जिसके फलस्वरूप कोई वधानिक उत्तरदारयित्व बनता हो तो ठेकेदार, क्रेता को उन वधानिक उत्तरदायित्वों से बचाएगा । अत: यह आवश्यक ह कि विदेश में निर्मित सामग्री की आपूर्ति प्रस्तावित करने वाले ठेकेदार को उन देशों में लागू निर्यात ठेका नियमनों का पूरा ज्ञान हो ।

33.4 क्रेता के कार्यस्थल पर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि या किसी तीसरी पार्टी द्वारा 'आपूर्ति उपरांत निरीक्षण' क्रेता के ठेके के निबंधन एवं शर्तों के विपरीत ह अत: उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी ।

34. अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र

34.1 बोलीकर्ता को यदि अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र चाहिए हो तो बोली में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए । क्रेता द्वारा निम्नांकित फॉर्मेट में ही अंतिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाएगा । इस संबंध में क्रेता कोई अन्य दस्तावेज़/घोषणा उपलब्ध नहीं कराएगा ।

<u>अंतिम उपयोग कथन</u>

"हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि दिनांक ---------- के हमारे क्रय आदेश सं. ---------- के तहत मेसर्स ---------- से खरीदी जाने वाली ---------- मद/मदों का उपयोग ---------- के लिए किया जाएगा ।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इन मदों का प्रयोग किसी रसायनिक, जविक, नाभिकीय या जन संहारक शस्त्रों के अभिकल्पन, विकास, निर्माण या परीक्षण में या उससे जुड़ी गतिविधि में नहीं किया जाएगा ।

इसके अतिरिक्त, यह भी प्रमाणित किया जाता ह कि हम संबंधित प्राधिकारियों से यथाआवश्यक पूर्व अनुमति लिए बगैर, इस मद/इन मदों का पुन: निर्यात नहीं करेंगे ।"

निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय

35. क्रेता की सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन

35.1 ठेकेदार को क्रेता के, वर्तमान में लागू सुरक्षा नियमों तथा नियमनों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी जसे पुलिस और अन्य प्राधिकारियों से सत्यापन करवाना तथा क्रेता द्वारा जब भी प्राधिकृत किया जाए तब क्रेता के परिसर में प्रवेश करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुमति लेना ।

36. उद्गम देश

36.1 निविदाएं आयातित भंडार के लिए यदि हों तो, आपूर्ति के लिए प्रस्तावित भंडार सामग्री जिस देश में मूल रूप से निर्माण की गयी हो उस देश का नाम बोली में उल्लिखित होना चाहिए ।

37. ठेके के नियम एवं शर्तें

37.1 यह स्पष्ट रुप से समझा जाना चाहिए कि इस निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के अनुसरण में निष्पादित किसी ठेके को, एनआईटी में दी गई ठेके की सामान्य, विशेष और अतिरिक्त शर्तों द्वारा निर्धारित किया जाएगा । अत: बोलीकर्ता को एनआईटी को विशेष ध्यान से पढ़ना चाहिए । यह भी नोट किया जाना चाहिए कि एनआईटी में दी गई ठेके की सामान्य शर्तें, ठेके की विशेष शर्तें और ठेके की अतिरिक्त शर्तें यदि कोई ह बाध्यकारी ह और बोलीकर्ता क्रेता की ठेके की शर्तों के अनुसार ठेके का निष्पादन करने को तयार हैं ।

38. नमूने

38.1 यदि, एनआईटी में प्रस्तावित भंडार सामग्री के नमूनों की मांग की जाती ह तो बोलीकर्ता द्वारा नमूने, बिना किसी प्रभार के तथा क्रेता की निविदा संख्या दर्शाते हुए, इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने चाहिए ताकि बोली प्रसमुति की अंतिम तारीख तक या उससे पहले प्राधिकृत व्यक्ति तक पहुंच जाए और इसके स्वीकृति/अनुमोदन/सुरक्षित अभिरक्षा या इसे सुरक्षित वापस करने के संबंध में क्रेता का कोई दायित्व नहीं होगा। प्रत्येक प्रस्तुत नमूने पर बोलीकर्ता के नाम और पते एवं निविदा संख्या का स्पष्ट लेबल लगा होना चाहिए । बोली अस्वीकार होने की स्थिति में, बोलीकर्ता को अपने खर्च पर तथा सूचना की तारीख से 15 दिन के अंदर, नमूने हटाने/ले जाने होंगे । यदि बोलीकर्ता निर्दिष्ट समय के अंदर ऐसे नमूनों को लेकर नहीं जाता ह तो क्रेता द्वारा इसका निपटान कर दिया जाएगा और इस संबंध में बोलीकर्ता के किसी भी दावे पर ध्यान नहीं दिया जाएगा । बिना नमूनों वाली बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा जहां पर एनआईटी में इन्हें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया हो ।

38.2 यदि बोलीकर्ता अपनी बोली के साथ नमूने प्रस्तुत करता ह; तो इसे भंडार सामग्री के भाग के रूप में विचार नहीं किया जाएगा जब तक एनआईटी में विशेष रूप से इसका उल्लेख न किया गया हो ।

38.3 यदि निविदा में दिए गए सामान की आपूर्ति क्रेता के नमूनें के अनुसार अपेक्षित ह तो क्रेता, अनुरोध किए जाने पर बोली और आपूर्ति के मानक के रूप में एनआईटी में उल्लिखित जमा

प्रस्तुत किए जाने पर नमूना उपलब्ध कराएगा । ठेकेदार एनआईटी में उल्लिखित पते पर नमूना ले कर जाने के लिए अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है। बोलीकर्ता द्वारा नमूना प्राप्त करने/लेकर जाने में हुए किसी विलंब के लिए क्रेता उत्तरदायी नहीं होगा । जैसा कि एनआईटी में उल्लेख है, यह बोलीकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह नमूना को बिना किसी क्षति/ह्रास के वापस करें । यदि सूचना की तारीख से 15 दिन के अंदर अपेक्षित स्थिति में नमूना नहीं लौटाया जाता है तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह बोलीकर्ता की जमा राशि को जब्त कर लें ।

39. बैंकरों का ब्यौरा

39.1 बोलीकर्ता ईएमडी के रिफंड और भुगतान, जो भी लागू हो, के लिए बोली के भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक भाग) के साथ खाता विवरण, आईएफसी कोड, अपने बैंकरों का नाम तथा पता प्रस्तुत करेगा ।

40. ड्राइंग प्रस्तुत करना

40.1 बोली को सही ढंग से समझने और मूल्यांकन करने के लिए, बोलीकर्ता भंडार सामग्री से संबंधित सभी ड्राइंगें जब भी एनआईटी में मांगा जाए, बोली के भाग-I (तकनीकी – वाणिज्यिक) के साथ अपलोड करेगा । बोलीकर्ता की ड्राइंगें क्रेता द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ही ठेके का भाग बनेंगी ।

41. उप-ठेका देना

41.1 ठेकेदार, क्रेता द्वारा उसकी बोली स्वीकार किए जाने पर, ठेका या उसके किसी अंश को, क्रेता की पूर्व सहमति के बिना किसी और को नहीं सौंपेगा/उप-ठेके पर नहीं देगा या प्रत्यायोजित नहीं करेगा । ठेकेदार, क्रेता की सहमति के बिना किसी प्रमुख और प्रतिष्ठित विनिर्माता से ऐसे भाग, सहायक साधन, कच्ची सामग्री आदि की खरीद कर सकता है, जिनका वह सामान्यत: विनिर्माण नहीं करता । तथापि, ठेके के संतोषजनक निष्पादन के लिए एकमात्र ठेकेदार ही जिम्मेदार होगा, चाहे ठेके का एक भाग उसके द्वारा उप ठेकेदार को सौंपा गया हो या उप-ठेके पर दिया गया हो तथा ऐसा उप-ठेका क्रेता की पूर्व लिखित सहमति से किया गया हो ।

42. दुकान/फैक्टरी मूल्यांकन, गुणवत्ता जांच/निरीक्षण और प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करना

42.1 क्रेता या उसके तकनीकी प्राधिकारी अपनी इच्छा से और बोली के मूल्यांकन से पहले बोलीकर्ता की विनिर्माण क्षमता आदि का मूल्यांकन करने और उसे प्रमाणित करने के लिए बोलीकर्ता या ठेकेदार की फैक्टरी/कार्यशाला परिसर में अपना निरीक्षक या गुणवत्ता जांच एजेंसी को

प्रतिनियुक्त कर सकते हैं । उसी प्रकार, विनिर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान भंडार सामग्री के निरीक्षण के लिए क्रेता भी अपना निरीक्षक/गुणवत्ता जांच एजेंसी को प्रतिनियुक्त कर सकता ह□। ऐसी स्थिति में ठेकेदार निरीक्षक को निरीक्षण करने या ठेके की प्रगति का पता लगाने के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा और फ□क्टरी/कार्यशाला/रिकार्डों तक बिना किसी बाधा के पहुंचने देगा ।

43. पैकिंग

43.1 ठेकेदार नोट करें कि शिपमेंट की प□किंग इस एनआईटी में दिए गए अनुदेशों के अनुसार हो । प्रत्येक प□केज का साइज और वजन, हवाई, समुद्री तथा सड़क कार्गो, यथास्थिति, के लिए विद्यमान, अनुमेय सीमा के अंदर ही होना चाहिए । यहां तक कि यदि प□किंग विनिर्देशन निविदा आमंत्रण सूचना में शामिल नहीं किया गया ह□तो भी यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह आपूर्ति के स्वरूप तथा परिवहन और हैंडलिंग जोखिमों को ध्यान में रखकर उचित प□किंग करवाए ।

43.2 भंडार सामग्री इस प्रकार प□क और सुरक्षित होनी चाहिए कि शिपमेंट के दौरान और ऊष्ण कटिबंधी वातावरण में भंडारण के दौरान उसे किसी प्रकार की हानि, क्षति नहीं होनी चाहिए या उसकी टूट-फूट नहीं होनी चाहिए ।

43.3 प्रत्येक प□केज पर ठीक तरह से लेबल लगाया होना चाहिए जिसपर, उस प□केज में रखी भंडार सामग्री का प्रकार और मात्रा, क्रय आदेश संख्या, उसके आयाम (dimensions) और वजन और अन्य आवश्यक डाटा का उल्लेख हो ताकि भंडार सामग्री को पहचाना जा सके और ठेके से सह-संबंध सथापित किया जा सके ।

43.4 अनुचित खराब प□केजिंग के कारण भंडार सामग्री को यदि कोई क्षति होती ह□तो क्रेता का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा । ऐसे मामलों में, क्रेता से लिखित सूचना प्राप्त होने पर ठेकेदार सुपुर्दगी अवधि के अंदर अपने जोखिम और लागत पर ऐसी भंडार सामग्री को बदलने के लिए व्यवस्था करेगा ।

44. क्रेता के तकनीकी विनिर्देशों से विचलन

44.1 यदि इस निविदा दस्तावेज के खंड 'डी' में दिए तकनीकी विनिर्देशों से कोई विचलन हो या उनके स्थान पर कुछ और शामिल किया गया हो तो बोलीकर्ता द्वारा भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक) में इसका स्पष्ट रूप से ब्यौरा दिया जाना चाहिए और इसे बोली के भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक) के अनुलग्नक के रूप में अपलोड किया जाना चाहिए, ऐसा न होने पर बोलीकर्ता की ओर से इस बात की सहमति मानी जाएगी कि वह क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट किए

अनुसार भंडार सामग्री की आपूर्ति करेगा । भाग-II (कीमत) क्रेता द्वारा प्रदान किए गए बोली फार्मेट में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

45. ठेके के वाणिज्यिक निबंधन एवं शर्तों का समायोजन

45.1 बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली के भाग-**I** (तकनीकी-वाणिज्यिक) में दी गई बिक्री/ठेके की वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें, एनआईटी में दी गई क्रेता की नियम एवं शर्तों के अनुसार होनी चाहिए । यदि बोलीकर्ता एनआईटी में उल्लिखित क्रेता की नियम एवं शर्तें स्वीकार नही करता तो उनकी बोली तुरंत अस्वीकृत कर दी जाएगी । बोलीकर्ता नोट कर लें कि ठेके के वाणिज्यिक नियम एवं शर्तों के संबंध में प्राधिकार क्रेता के पास ह□और बोलीकर्ता तथा अन्य प्राधिकारियों के बीच तय हुआ कोई भी करार/समझौता वध्य नहीं होगा और बाध्यकर नहीं होगा।

46. निविदा में भारतीय/विदेशी बोलीकर्ता की सहभागिता

46.1 'भारतीय और विदेशी बोलीकर्ता प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक, भारत द्वारा प्राधिकृत और निदेशालय की ई-निविदा वेबसाइट https://e-tenders.dpsdae.gov.in में सूचीबद्ध किसी भी लाइसेंस-प्राप्त प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र/एनक्रिप्शन प्रमाणपत्र उपयोग कर निविदा में भाग ले सकता ह□।'

47. सुपुर्दगी की शर्त

47.1 भारतीय रूपए कोट करने वाले भारतीय बोलीकर्ता को केवल क्रेता के परेषिती को भंडार सामग्री की सुरक्षित सुपुर्दगी हेतु कोट करना चाहिए ।

47.2 विदेशी मुद्रा में कोट करने वाले ओवरसीज/विदेशी/भारतीय बोलीकर्ता को निम्नलिखित इनकोटर्म आधार पर कोट करना चाहिए ।

47.2.1हवाई शिपमेंट के लिए : दी गई सूची के अनुसार निर्दिष्ट 'गेटवे एअरपोर्ट' पर नि:शुल्क वाहक (एफसीए)

47.2.1.1 'गेटवे एअरपोर्टों' की सूची

क्रम सं.	देश	गेटवे एअरपोर्ट
1.	अर्जेंटिना	ब्यूनस आयर्स
2.	ऑस्ट्रेलिया	मेलबर्न
3.	ऑस्ट्रिया	वियना
4.	बेल्जियम	एंटवर्प
5.	कनाडा	टोरोंटो/मोंट्रिएल
6.	चीन	बीजिंग
7.	चेक गणराज्य	प्राग
8.	डेन्मार्क	कोपेनहेगन

9.	फिनलैंड	हेलसिंकी
10.	फ्रांस	पि□रिस
11.	जर्मनी	फ्रैंकफर्ट
12.	हाँग काँग	हाँग काँग
13.	आयरलैंड	डबलिन
14.	इटली	रोम
15.	जापान	टोक्यो/ओसाका
16.	नीदरलण्ड	एमस्टरडम
17.	नॉर्वे	ओसलो
18.	पोलैंण्ड	वारशॉ
19.	रूस	मॉस्को
20.	सिंगापुर	सिंगापुर
21.	दक्षिण अफ्रीका	जोहान्सबर्ग
22.	दक्षिण कोरिया	सिआल
23.	स्पेन	बार्सिलोना/माड्रिड
24.	स्वीडन	स्टॉकहोम
25.	स्विट्जरलैंड	ज्यूरिक
26.	यूनाइटेड किंगडम	लंदन
27.	यू.एस.ए.	जेएफके

47.2.1.2 चूँकि क्रेता के, प्राधिकृत समेकन एजेंट होते हैं, वे संबंधित गेटवे एअरपोर्ट से हवाई माल-भाड़े की व्यवस्था करेंगे ।

47.2.2 **समुद्री शिपमेंट के लिए : एफओबी (प्रेषण का पोर्ट)**

47.2.2.1 कोट की गई कीमत में भंडार सामग्री की लागत, पि□किंग प्रभार, प्रेषण पोर्ट तक अंतर्देशीय परिवहन प्रभार अर्थात □प्रेषण देश में बड़े समुद्री पोर्ट तथा जहाज में भंडार सामग्री के लदान का प्रभार शामिल होना चाहिए । जिस समुद्री पोर्ट से शिपमेंट की जाएगी उसका नाम भी दर्शाया जाना चाहिए ।

47.2.2.2 यदि ठेका दिया जाता ह□और शिपमेंट का तरीका समुद्री माल-भाड़ा हो, तो शिपिंग की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जाएगी और मालभाड़ा प्रभार का उल्लेख कीमत बोली प्रपत्र में किया जाना ह□।

48. एजेंसी कमीशन

48.1 भारत में ठेकेदार के एजेंटों को, यदि कोई कमीशन देय हो तो उसे कीमत में शामिल किया जाना चाहिए । भारतीय एजेंटों का नाम तथा पता एवं उन्हें देय कमीशन का

प्रतिशत, जो कीमत में शामिल किया गया ह। स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए । अंतिम स्वीकृति के बाद, कमीशन का भुगतान क्रेता द्वारा सीधे भारतीय एजेंटों को समतुल्य भारतीय रुपयों में तथा विदेशी ठेकेदार को भुगतान किए जाने के दिन जो भी विनिमय दर हो उसके आधार पर किया जाएगा । एजेंसी कमिशन के भुगतान का तरीका तथा पद्धति ठेके की सामान्य शर्तों/ठेके की विशेष शर्तों में उल्लिखित ह।

अनुभाग 'बी'

निविदा
की
प्रस्तुति के लिए फॉर्मेट

प्रपत्र सं. ई_क्रभनि-पी-103ए

निविदा सं. : _____का भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक)

ठेकेदार की बोली सं. _____ दिनांक : _____

प्रेषक

मेसर्स_____

_____

_____

प्रति,

सहायक क्रय अधिकारी/क्रय अधिकारी

क्रय एवं भंडार निदेशालय

परमाणु ऊर्जा विभाग

महोदय/महोदया,

मैंने/हमने दो-भाग निविदा से संबंधित निविदा शर्तों को और ठेके की सामान्य शर्तों, ठेके की विशेष शर्तों और ठेके की अतिरिक्त शर्तों यदि कोई ह को ध्यान से पढ़ लिया ह।

2. मैं/हम निविदा दस्तावेज़ के खंड-डी में दिए गए निविदा विनिर्देशों के अनुरूप और निविदा दस्तावेज़ के खंड-सी में दी गई, ठेके की सामान्य शर्तों, ठेके की विशेष शर्तों और ठेके की अतिरिक्त शर्तों, यदि कोई ह के अनुसार ठेके का निष्पादन करने के लिए एतद्द्वारा सहमत हूँ/हैं ।

3. क्रेता को यह छूट होगी कि वह हमारे द्वारा प्रस्तावित भंडार सामग्री की एक या एक से अधिक मदों को स्वीकार करें तथा मैं/हम ठेके में विनिर्दिष्ट भंडार सामग्री की आपूर्ति के लिए बाध्य हूँगा/हूँगी/होंगे ।

4. मैं/हम निविदा में उल्लिखित अवधि तक कीमत को क्रेता की स्वीकृति के लिए वध रखने हेतु एतद्द्वारा सहमत हूँ/हैं ।

5. निविदा दस्तावेज़ के खंड-डी में दिए गए तकनीकी विनिर्देशों से विचलन का विवरण निविदा प्रपत्र के अनुलग्नक-ए में दिया गया ह जबकि ठेके की सामान्य शर्तों, विशेष शर्तों और ठेके की अतिरिक्त शर्तों, यदि कोई ह से जो विचलन प्रस्तावित ह उसका विवरण इस निविदा के अनुलग्नक-बी में दिया ह।

6. लागू कीमतों का उल्लेख निविदा के कीमत बोली फार्मेट में दिया गया ह।

7. मैं/हम प्रस्तावित भंडार सामग्री से संबंधित सभी लीफलट/कटलॉग आदि भी अपलोड कर रहा हूँ/रही हूँ/रहे हैं ।

भवदीय

बोलीकर्ता

(डिजीटली हस्ताक्षरित या पश से हस्ताक्षरित)

संलग्न :

निविदा सं. : _____का भाग-II (कीमत)

बोली सं. _____ दिनांक : _____

प्रेषक

मेसर्स_____

_____

_____

प्रति,

सहायक क्रय अधिकारी/क्रय अधिकारी

क्रय एवं भंडार निदेशालय

परमाणु ऊर्जा विभाग

महोदय/महोदया,

क्रेता के निविदा आमंत्रण के उत्तर में और निविदा एवं ठेका की शर्तों के अनुसार, हमारी निविदा के भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक) में उल्लिखित ठेके के लिए लागू कीमतें, निविदा के कीमत बोली फॉर्मेट में दिया गया हैं ।

हम निविदा में दी गई अवधि तक कीमत को स्वीकृति के लिए वैध रखने हेतु एतद्द्वारा सहमत हैं ।

भवदीय

बोलीकर्ता

(डिजीटली हस्ताक्षरित या पेन से हस्ताक्षरित)

संलग्न :

अनुभाग 'सी'

ठेके की सामान्य शर्तें

और

ठेके की विशेष शर्तें

भारत सर□ार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Energy
क्रय एवं भंडार निदेशालय/Directorate of Purchase & Stores

ठे□ों □ी सामान्य शर्तें
एवं
ठे□ों □ी विशेष शर्तें

अनुक्रमणि□ा

खण्ड	खण्ड शीर्ष□	पेज नं.
	ठे□ □ी सामान्य शर्तें (भाग-ए)	
	प्रस्तावना	**34**
1.	ठे□ दार □ी ओर से ठे□ पर हस्ताक्षर □रने वाले व्यक्ति □ा प्राधि□ार	34
2.	□ रेख तथा विनिर्देश	34
3.	सामान्य वारंटी	35
4.	संश□धन	35
5.	पैकिं ग	35
6.	निरीक्षण	35
7.	जमानत	36
8.	सुपुर्दगी तारीख – समय ठे□ □ा सार तत्व	38
9.	सुपुर्दगी □ी अग्रिम सूचना	38
10.	सुपुर्दगी तारीख □ □ बढ़ाना	39
11.	ठे□ □ □ समयपूर्व समाप्ति या सुपुर्दगी तारीख से पहले □ार्य-क्षेत्र □ □ □ म □रना	39
12.	निरीक्ष□ □ा प्राधि□ार	40
13.	द□षपूर्ण भंडार सामग्री में सुधार और उसे बदलना	41
14.	अस्वी□ार □रने □े परिणाम	41
15.	ब□ाया राशि □ी वसूली	41
16.	अन्य ठे□ों □े दावों □े संबंध में धारणाधि□ार	42
17.	वारंटी	42
18.	परमिट तथा लाइसेंस	43
19.	पेटेंट संबंधी वैधानि□ उत्तरदायित्वों से बचाना	43
20.	भुगतान □ा तरी□ा और दस्तावेजी□रण	43
21.	वैधानि□ □ौतियां	44
22.	एजेंसी □मीशन	44
23.	बीमा	45
24.	मार्कि ग	45
25.	अखण्डता संहिता	45

26.	**ठेके को शासित करने वाले कानून (भारतीय रुपयों में ठेकों के लिए)**	46
27.	**न्यायालयों का क्षेत्राधिकार**	46
28.	**विवाद समाधान**	47
29.	**मध्यस्थता**	47
30.	**स्वामित्व का अंतरण**	47
31.	**क्रेता के अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग करना**	48
32.	**ठेके को समाप्त करना**	48
	अनुभाग II - ठेके की विशेष शर्तें	
1.	**पूर्णता की जिम्मेदारी**	49
2.	**अंतिम परीक्षण**	49
3.	**दोषपूर्ण संयंत्र अस्वीकार करना**	49
4.	**वारंटी**	50
5.	**विनिर्माण तथा कमीशनन**	50
6.	**प्रशिक्षण**	51
7.	**भुगतान की शर्तें**	51
8.	**अप्रत्याशित घटना**	52
9.	**सीमाएं**	54
10.	**बाधा**	54

प्रस्तावना

ठेके की सामान्य शर्तों में दी गई शर्तें सभी ठेकों पर लागू होंगी जबकि, ठेके की सामान्य शर्तें और ठेके की विशेष शर्तें संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/मापयंत्र के लिए किए जाने वाले ठेकों पर लागू होंगी ।

भाग - ए

ठेके की सामान्य शर्तें

1. ठेकेदार की ओर से ठेके पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का प्राधिकार

बोली या ठेके के संबंध में ठेके या अन्य किसी दस्तावेज पर बोलीकर्ता या ठेकेदार की ओर से हस्ताक्षर करने वाले या डिजीटली हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के संबंध में यह माना जाएगा कि उसे ठेकेदार को 'बाध्य करने' का प्राधिकार प्राप्त है।

2. आरेख (ड्राइंग) तथा विनिर्देश

2.1 आरेख (ड्राइंग) तथा विनिर्देश एक-दूसरे के पूरक होते हैं । किसी भी ठेके को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी बातों का इनमें प्रावधान होता है और वे सभी बातें इसमें शामिल होती हैं । तात्पर्य है कि यदि किसी बात का उल्लेख विनिर्देश में न किया गया हो किंतु ड्रॉइंग में हो या ड्रॉइंग में न हो किंतु विनिर्देश में हो तो यह मानते हुए कि दोनों में इसे दर्शाया गया है और इसका उल्लेख किया गया है, ठेकेदार को इसकी आपूर्ति करनी होगी ।

2.2 यदि ड्रॉइंग तथा/या विनिर्देशों में किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाती है और उसकी व्याख्या आवश्यक हो, तो स्पष्टीकरण के लिए मामला क्रेता को भेजा जाना चाहिए, जो ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा । अन्यथा ठेकेदार को ड्रॉइंग तथा विनिर्देशों की व्याख्या को मानने की जिम्मेदारी लेनी लगेगी, जिसमें उप-ठेकेदार भी शामिल है।

2.3 यदि ड्रॉइंग या विनिर्देश के वास्तविक आशय तथा उसके अर्थ के संबंध में कोई मतभेद या विवाद होता है या उसका कोई अंश अस्पष्ट या एक से अधिक व्याख्या करने योग्य होता हो, तो इस संबंध में निर्णय क्रेता द्वारा लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

2.4 ड्रॉइंग में दिए गए सभी अभिलेखों को विनिर्देश तथा ठेके का भाग माना जाना चाहिए । सभी मामलों में अंकों में दिए गए आयामों का पालन किया जाना चाहिए न कि जो स्केल में दिए गए हों । छोटे स्केल ड्रॉइंगों की तुलना में बड़े स्केल ड्रॉइंगों को वरीयता होगी ।

2.5 ठेकेदार के ड्रॉइंगों का क्रेता द्वारा अनुमोदन होने पर उसे ड्रॉइंगों की सूची में शामिल माना जाएगा, जो ठेके का भाग होगी । जब तक क्रेता द्वारा फेब्रिकेशन से संबंधित ड्रॉइंगे विधिवत रूप से अनुमोदित नहीं की जाती या एनओईटी में इसका उल्लेख न हो तब तक ठेकेदार फेब्रिकेशन का काम आरंभ नहीं करेगा ।

2.6 ठेकेदार द्वारा दिए गए ड्रॉइंगों या अन्य विवरणों में किसी विसंगति, त्रुटि या चूक के कारण भंडार सामग्री में हुए बदलाव के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा तथा इसके लिए भुगतान करेगा तथा बदलाव के परिणामस्वरूप क्रेता द्वारा किए गए किसी भी व्यय की क्षतिपूर्ति करेगा, चाहे क्रेता द्वारा ऐसे ड्रॉइंगों या विनिर्देशों को अनुमोदित किया गया हो या न किया गया हो, बशर्ते कि ऐसी विसंगति, त्रुटि या चूक क्रेता की ओर से ठेकेदार को प्रस्तुत गलत जानकारी या विनिर्देश के कारण न हो ।

3. सामान्य वारंटी

3.1 ठेके के तहत ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई भंडार सामग्री उत्तम गुणवत्ता और कारीगरी वाली होगी । जब तक ठेके में किसी विचलन का स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया हो और ठेके में किसी संशोधन पर सहमति न हुई हो, ठेकेदार तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार ठेके का निष्पादन करेगा ।

3.2 तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार ठेका निष्पादन करने संबंधी ठेकेदार की बोली उसकी ओर से इस बात की स्वीकृति माना जाएगा कि वह इसके विवरण से पूर्णतया परिचित है और क्रेता के विरुद्ध इस आधार पर कोई दावा नहीं किया जा सकेगा कि ठेकेदार ने तकनीकी विनिर्देशों पर पूर्णतया गौर नहीं किया या वह उनसे पूर्णतया परिचित नहीं था ।

4. संशोधन

4.1 क्रेता, अपवादात्मक परिस्थितियों में, किसी भी तरीके से ठेके में संशोधन किए बिना ड्राइंग, तकनीकी विनिर्देशों में परिवर्तन कर सकता है और अतिरिक्त अनुदेश जारी कर सकता है बशर्ते ऐसे परिवर्तन से जहां तक संभव हो, ठेके के स्वरूप और कार्य क्षेत्र में वास्तव में कोई बदल न हो ।

4.2 ठेका करने वाली पार्टियों के लिए यह उचित होगा कि वे किसी भी समय ड्राइंगों और तकनीकी विनिर्देशों में संशोधन आपसी सहमति से करें और पार्टियों द्वारा निर्दिष्ट तारीख से आपूर्ति की जाने वाली भंडार सामग्री इस प्रकार बदलाव की गई ड्राइंगों और तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार होगी, बशर्ते यदि ऐसे किसी बदलाव में उत्पादन लागत या उत्पादन के लिए आवश्यक अवधि में बढ़ाव या घटाव शामिल हो, तो उस भंडार सामग्री के संबंध में, जिस पर यह बदलाव लागू होता हो, ठेके की कीमत और/या सुपुर्दगी तारीख में संशोधन, आपसी सहमति से किया जाएगा । अन्य प्रकार से, ठेका यथावत बना रहेगा ।

5. पैकिंग

5.1 वायुमार्ग/समुद्री मार्ग/सड़क मार्ग, जो भी स्थिति हो, से परिवहन किए जाने के लिए ठेकेदार भंडार सामग्री को पर्याप्त रूप से तथा व्यवस्थित ढंग से अपनी लागत पर पैक करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ठेके में विनिर्दिष्ट अंतिम गंतव्य पर पहुँचने तक उसे किसी भी प्रकार की हानि या क्षति नहीं होगी ।

5.2 जब तक कि ठेके में अन्यथा न दिया गया हो, उन सभी कंटेनरों (पैकिंग केसों, बक्सों, टिनों, ड्रमों तथा वेष्टनों सहित) को क्रेता की संपत्ति मानी जाएगी, जिनमें ठेकेदार द्वारा भंडार सामग्री की आपूर्ति की गई हो, क्योंकि उसकी कीमत ठेके की राशि में शामिल होती है।

6. निरीक्षण

6.1 ठेकेदार ठेके तथा उसमें शामिल तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक निरीक्षणों तथा परीक्षणों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

6.2 क्रेता अपने विवेकानुसार ठेकेदार के कारखाने में भंडार सामग्री के निरीक्षण के लिए निरीक्षक को नियुक्त कर सकता है।

6.3 ठेकेदार भंडार सामग्री के निरीक्षण हेतु, उसके तयार होने की सूचना निरीक्षक (उपरोक्त खण्ड 6.2 के तहत नियुक्त) को देगा ताकि निरीक्षक अपेक्षित समय पर उपस्थित हो सके । ऐसी स्थिति में भंडार सामग्री का प्रेषण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि क्रेता के निरीक्षक से प्रेषण की सूचना (शिपिंग रिलीज) प्राप्त न हो ।

6.4 ठेकेदार निरीक्षक को निरीक्षण करने या ठेके के तहत ऑर्डर दी गई भंडार सामग्री से संबंधित कार्य की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएगा तथा फैक्टरी/कारखाना और अभिलेखों तक बिना किसी बाधा के पहुँचाएगा ।

6.5 ठेकेदार निरीक्षण कार्य करने के लिए ड्राइंग, औजार, गेज, यंत्र इत्यादि उपलब्ध कराएगा और अपेक्षित सभी सहायता देगा ।

6.6 ठेकेदार निरीक्षण योजना प्रस्तुत करेगा जिससे क्रेता संतुष्ट हो तथा उस योजना में निरीक्षण बिंदु स्पष्ट रूप से इंगित करेगा । अंतिम निरीक्षण अनुमोदित गुणवत्ता आश्वासन योजना के अनुसार किया जाएगा ।

6.7 ठेकेदार भंडार सामग्री की आपूर्ति या सुपुर्दगी तब तक नहीं करेगा जब तक क्रेता से उचित फॉर्मेट में शिपिंग रिलीज या प्रेषण के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं हो जाता हो। इस अनुदेश का अनुपालन न करने पर ठेकेदार आपूर्ति के भुगतान हेतु पात्र न होगा तथा वाहक से भंडार सामग्री की निकासी में विलंब के कारण क्रेता को होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

7. प्रतिभूतियॉ

7.1 जैसा कि यहॉ नीचे उल्लिखित उप-खंडों में कहा गया हो, ठेकेदार बैंक गारंटी के रूप में क्रेता के नाम से, अनुबंध में उल्लिखित अवधि से परे साठ दिनों की अवधि के लिए नीचे दी गई शर्तों के अधीन प्रतिभूतियां प्रस्तुत करेगा :

7.1.1 भारतीय मुद्रा में ठेकों के लिए लागू

7.1.1.1 बैंक गारंटी, क्रेता के प्रारूप के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक या किसी भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंकों द्वारा (सहकारी और ग्रामीण बैंकों के अलावा) भारतीय रिज़र्व बैंक की दूसरी अनुसूची में यथा वर्णित उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित की जानी चाहिए ।

7.1.2 भारतीय मुद्राओं के ठेकों को छोड़, उन ठेकों के लिए लागू हो जिसमें विदेशी ठेकेदार द्वारा बैंक गारंटी जमा करने की शर्त शामिल हो।

7.1.2.1 बैंक गारंटी भारतीय स्टेट बैंक या किसी भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंकों द्वारा (सहकारी और ग्रामीण बैंकों के अलावा) भारतीय रिज़र्व बैंक की दूसरी अनुसूची में यथा उल्लिखित या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विदेशी बैंक द्वारा निष्पादित की जानी चाहिए । भारत के किसी बैंक से ली गई बैंक गारंटी उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर होगी, जबकि ओवरसीज बैंक से ली गई बैंक गारंटी क्रेता के प्रारूप के अनुसार बैंक के पत्रशीर्ष पर होगी।

7.1.3 बैंक गारंटी अनुलग्नक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी ।

7.1.4 सभी बैंक गारंटी बैंकरों द्वारा सीधे क्रेता को भेजी जाएगी ।

7.1.5 जहां ठेकेदार सुपुर्दगी की तारीख के भीतर ठेका पूरा करने में विफल रहता हो, ठेकेदार ठेके की सुपुर्दगी की तारीख के विस्तार के लिए क्रेता को अनुरोध भेजेगा । कृपया ध्यान दिया जाए कि ठेके की सुपुर्दगी की तारीख का विस्तार केवल क्रेता के विवेक पर निर्भर हो। प्रतिभूति जमा बैंक गारंटी में भी

यथा□चित समय विस्तार,समय रहते किया जा सकता ह□ और हर हाल में, इस तरह के विस्तार का अनुरा□ध क्रेता क□ सुपुर्दगी की तारीख समाप्त हा□ने से एक महीने पहले दिया जाएगा । ऐसा न हा□ने पर क्रेता क□ ठेके के निबंधन एवं शर्तों क□ प्रभावित किये बिना बैंक गारंटी जब्त करने का अधिकार हा□गा । क्रेता द्वारा सुपुर्दगी तिथि के उचित विस्तार से पहले ठेकेदार सामग्री की □ पूर्ति नहीं करेगा |

7.2 प्रतिभूति जमा राशि

7.2.1 ठेकेदार , ठेके के विधिवत् निष्पादन हेतु, ठेका जारी किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर (भारतीय मुद्रा के ठेकों में) या गा□ स्वदेशी ठेकों में, संबंधित सरकार से निर्यात लाइसेंस प्राप्त हा□ने की तारीख से तीस दिन के भीतर, ज□ भी स्थिति ह□ अनुलग्नक- I के अनुसार, सांविधिक उगाहियों क□ छा□ड़, ठेके के मूल्य के दस प्रतिशत की राशि बैंक गारंटी के रूप में , प्रतिभूति जमा राशि प्रस्तुत करेगा । बैंक गारंटी, ठेके की सामान्य शर्तों के अनुसार, ठेके के संता□षजनक समापन तक तथा पीबीबीजी प्रस्तुत करने तक एवं इसके अलावा, ठेके में यथावर्णित समापन अवधि से साठ दिन तक की दावा अवधि , यदि का□ई दावा प्रस्तुत करना ह□ त□ उस अवधि तक मान्य हा□गी । ।

7.2.2 यदि ठेकेदार ठेका जारी करने की तारीख से तीस दिन के भीतर एसडीबीजी क□ ऊपर बताए अनुसार प्रस्तुत करने में विफल रहता ह□ त□ ऐसी विफलता क□ ठेके का उल्लंघन माना जायेगा और ठेकेदार के खिलाफ यथा□चित कार्रवाई की जायेगी।

7.2.3 यदि ठेकेदार ठेके के तहत , अपने दायित्वों क□ पूरा करने में विफल रहता ह□ त□ क्रेता क□ एसडीबीजी ज़ब्त करने का अधिकार हा□गा। यह अधिकार ठेके के निबंधन एवं शर्तों के तहत क्रेता के अधिकारों के अतिरिक्त हा□गा और इससे ठेके के निबंधन एवं शर्तों के तहत क्रेता के अधिकारों पर का□ई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा |

7.3 निष्पादन बंधपत्र

7.3.1 ठेकेदार ठेके के अधीन ठेकेदार द्वारा □ पूर्ति की गई भंडार सामग्री के संता□षजनक निष्पादन और वारंटी/गारंटी के लिए जमानत के तौर पर ठेके के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर यथा लागू अनुलग्नक-**II, III** या **IV** के अनुसार बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन बंधपत्र प्रस्तुत करेगा ।

7.3.2 पीबीबीजी अंतिम भुगतान के रिलीज से पहले प्रस्तुत की जाएगी और यह वारंटी अवधि के समाप्त हा□ने एवं दावे प्रस्तुत करने के लिए इसके बाद तीन माह की दावा अवधि वै□ रहेगी ।

7.3.3 यदि किसी भंडार सामग्री या इसके किसी भाग की मरम्मत/रिप्लेसमेंट वारंटी अवधि के दौरान हा□नी ह□ त□ पीबीबीजी की वै□धता अवधि समाप्त हा□ने से कम से कम 30 दिन पहले इसकी वै□धता उपयुक्त रूप से बढ़ाई जाए ताकि मरम्मत/रिप्लेस की गई भंडार सामग्री और/या भंडार सामग्री के दा□षों के कारण बेकार स्थिति में पड़े रहने से मरम्मत/रिप्लेसमेंट हा□ने तक की स्थिति बढ़ी हुई वारंटी अवधि में कवर ह□ जाए ।

7.4 एफ□ ईएम के लिए बैंक गांरटी

7.4.1 एफ□ ईएम के लिए बैंक गारंटी (क्रेता के कार्यस्थल के बाहर ठेकेदार के कार्यस्थल पर भंडार सामग्री के निर्माण हेतु) : जब तक कि पूर्ण ठेके का निष्पादन नहीं ह□ जाता तब तक ठेकेदार उसे जारी नि:शुल्क सामग्री के जमानत के रूप में एफ□ ईएम के पूर्ण मूल्य तक की बैंक गारंटी यथा लागू अनुलग्नक **VIII** या **IX** के अनुसार प्रस्तुत करेगा और ठेकेदार द्वारा एफ□ ईएम का उचित लेखा-जा□खा क्रेता क□ प्रस्तुत किया जाएगा ।

7.5 एफ□ ईएम के लिए क्षतिपूर्ति बंधपत्र

7.5.1 एफ□ ईएम के लिए क्षतिपूर्ति बंधपत्र (क्रेता के कार्यस्थल से बाहर ठेकेदार के कार्यस्थल पर भंडार सामग्री के निर्माण के लिए) : जब तक कि पूर्ण ठेके का निष्पादन नहीं ह□ जाता ह□ उस समय तक ठेकेदार एफ□ ईएम के पूर्ण मूल्य तक के लिए क्रेता क□ क्षतिपूर्ति करने वाला क्षतिपूर्ति बंधपत्र क्रेता के पक्ष में देगा और क्रेता के वधानिक उत्तरदायित्वों से बचाएगा और ठेकेदार क्रेता क□ एफ□ ईएम के लिए उचित लेखा-जाखा प्रस्तुत करेगा । इसके लिए, अनुलग्नक-**VII** के अनुसार क्षतिपूर्ति बंधपत्र ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा ।

8. सुपुर्दगी तारीख – समय ठे□ □ा सार तत्व

8.1 ठेके में निर्धारित भंडार सामग्री की सुपुर्दगी तारीख क□ ठेके का महत्वपूर्ण तत्व माना जाएगा तथा उसमें निर्धारित तारीख/तारीखों तक ठेका पूरा किया जाना चाहिए ।

8.2 चरणबद्ध सुपुर्दगी/मील-पत्थर

8.2.1 जहां भी ठेका चरणबद्ध सुपुर्दगी या मील-पत्थर पूर्ण करने पर परिकल्पित ह□त□ उसे ठेके का सार माना जाएगा ।

8.3 भंडार सामग्री की सुपुर्दगी तारीख के बाद की स्वीकृति क्रेता के एकमात्र विवेक पर ह□और धारा सी भाग ए खण्ड सं. 10 के अधीन ह□।

8.4 सुपुर्दगी तारीख की समाप्ति पर ठेके क□ और धारा सी भाग ए खण्ड 32.2 और खण्ड 32.3 के अधीन समाप्त माना जाएगा ।

9. सुपुर्दगी □ी अग्रिम सूचना

9.1 ठेकेदार परेषिती क□ सुपुर्दगी की तारीख से कम से कम पांच दिन पहले सामग्री की अपेक्षित सुपुर्दगी के संबंध में प्राथमिकत: ईमेल द्वारा परेषिती क□ अग्रिम सूचना भेजेगा ताकि भंडार सामग्री की प्राप्ति के लिए उचित व्यवस्था की जा सके । यदि सुपुर्दगी वाहन द्वारा की जा रही ह□त□ ठेकेदार पुष्टि करेगा कि ड्राइवर ठेके के अनुसार सुपुर्दगी की तारीख क□ द□ प्रतियों में सुपुर्दगी चालन और अन्य दस्तावेज, यदि काई ह□ के साथ सभी वधा दस्तावेज अर्थात ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण दस्तावेज और वाहन हेतु बीमा कवर लेकर □ एं । यह भी नाट किया जाए ड्राइवर द्वारा उपयुक्त दस्तावेज न लाने पर, परेषिती के परिसर के अंदर वाहन क□ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और परेषिती इसके परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं हगा ।

10. सुपुर्दगी तिथि का विस्तार

10.1 सुपुर्दगी तिथि का विस्तार क्रेता के विवेकाधिकार पर हगा । यदि क्रेता सुपुर्दगी की तारीख के विस्तार के लिए ठेकेदार के अनुरध पर विचार करता ह□त□ क्रेता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, क्रेता सुपुर्दगी तारीख के विस्तार के लिए निम्नलिखित हर्जाना वसूल करेगा :

10.2 सुपुर्दगी अवधि से तात्पर्य ह□"ठेके देने की तारीख से इसकी सुपुर्दगी तारीख तक का समय"।

क्र.सं.	सुपुर्दगी अवधि	निर्धारित क्षतिपूर्ति, दर प्रति सप्ताह	निर्धारित क्षतिपूर्ति □ी अधि□तम राशि
1.	सुपुर्दगी अवधि (मूल रूप से निर्धारित अनुसार) ज□ एक वर्ष से अधिक न ह□	विलंब से प्राप्त/सुपुर्द न किए गए भाग की भंडार सामग्री के मूल्य का 0.5% की दर से, प्रति सप्ताह या इसका भाग	विलंब से प्राप्त/सुपुर्द न किए गए भाग की भंडार सामग्री का 5%
2.	सुपुर्दगी अवधि (मूल रूप से निर्धारित अनुसार) ज□ एक वर्ष से अधिक ह□ लेकिन द□ वर्ष से अधिक न ह□	विलंब से प्राप्त/सुपुर्द न किए गए भाग की भंडार सामग्री के मूल्य का 0.25% की दर से, प्रति सप्ताह या इसका भाग	विलंब से प्राप्त/सुपुर्द न किए गए भाग की भंडार सामग्री का 5%
3.	सुपुर्दगी अवधि (मूल रूप से निर्धारित अनुसार) ज□ द□ वर्ष से अधिक ह□	विलंब से प्राप्त/सुपुर्द न किए गए भाग की भंडार सामग्री के मूल्य का 0.1% की दर से, प्रति सप्ताह या इसका भाग	विलंब से प्राप्त/सुपुर्द न किए गए भाग की भंडार सामग्री का 5%

तथापि निर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान ठेकेदार क□ ठेके के अधीन उसकी बाध्यताओं और देयताओं से किसी प्रकार से मुक्त नहीं करेगा ।

11. ठे□ □ी समयपूर्व-समाप्ति या सुपुर्दगी तारीख से पहले □ार्य-क्षेत्र □ □ □म □रना

11.1 यदि सुपुर्दगी अवधि से पहले, क्रेता किसी भी कारण से, चाहे ज□ कुछ भी ह□ ठेके क□ छाड़ने या इसके कार्य-क्षेत्र क□ कम करने का निर्णय अपने विवेक से लेता ह□और इस प्रकार ठेके क□ पूरी तरह से या इसके कुछ भाग क□ निष्पादित किए जाने की □ वश्यकता न ह□ त□ क्रेता लिखित में ठेकेदार क□ इस संबंध में 4 सप्ताह का न□टिस देगा और ठेकेदार तदनुसार कार्य करेगा । ठेकेदार ठेके के किसी लाभ ज□ वह ठेके के पूर्णत: निष्पादन से प्राप्त कर सकता था, लेकिन ठेके क□ पूर्णत: या अंशत: पहले ही समाप्त करने के परिणामस्वरूप उसे प्राप्त नहीं हु□ , के कारण मु□ वजा या अन्य किसी प्रकार के भुगतान, चाहे ज□ भी ह□ के लिए दावा नहीं करेगा ।

11.2 ठेकेदार क□ निष्पादित और क्रेता क□ सुपुर्द किए गए ठेके के भाग के लिए पूर्ण राशि का भुगतान ठेका दर पर किया जाएगा । इसके अतिरिक्त क्रेता द्वारा प्रमाणित उचित राशि का भुगतान भी नीचे दी गई उस भंडार सामग्री के लिए किया जाएगा ज□ ठेके क□ पहले समाप्ति के मद्देनज़र पूरी तरह से ठेके में प्रयुक्त नहीं की जा सकी ;

11.2.1 क्रेता के पास विकल्प ह□गा कि वह ठेकेदार की पूरी सामग्री या इसके किसी भाग क□ ठेके के निष्पादन के लिए या त□ खरीद ले या उस सामग्री क□ ले लें जिसके लिए ठेकेदार अपने ठेकेदार से सुपुर्दगी स्वीकार करने के लिए (ठेके में उपय□ग हेतु) कानूनी रूप से बाध्य ह□। क्रेता द्वारा ली गई या ली जाने वाली सामग्री के लिए क्रेता द्वारा की गई गणना के अनुसार ऐसी सामग्री की लागत का भुगतान किया जाएगा । तथापि लागत निकालते समय में क्रय कीमत, परिवहन की लागत और हानि या क्षति की लागत ज□ ठेकेदार की अभिरक्षा में सामग्री क□ हुई ह□ क□ ध्यान में रखा जाएगा ।

11.2.2 यदि क्रेता द्वारा पूर्ति की गई सामग्री अधिशेष ह जाती ह त सामान्य अपशिष्ट क छाड़कर वह सामग्री ठेकेदार द्वारा क्रेता क उस दर पर लौटा दी जाएगी जिस दर पर मूल रूप से जारी की गई ह और उस राशि में से ठेकेदार की अभिरक्षा में रहने के दौरान सामग्री क हुई हानि या क्षति के लिए भत्ते क कम कर दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त कार्य स्थल से परेषिती के स्थान तक सामग्री के परिवहन की लागत यदि क्रेता द्वारा ऐसा अपेक्षित ह, त उसका भुगतान करना हगा ।

11.3 यदि क्रेता द्वारा अपेक्षित ह त ठेकेदार लेखा बुक और अन्य संबंधित दस्तावेज एवं साक्ष्य ज भी वश्यक ह क्रेता क प्रस्तुत करेगा ताकि क्रेता उपराक्त खण्ड 11.2 के अधीन देय उचित राशि क प्रमाणित कर सके ।

11.4 उपराक्त भंडार सामग्री के लिए देय उचित राशि ठेके की उस लागत से अधिक नहीं हगी ज ठेके के समाप्त हाने की तारीख क अपूर्ण रह गया ह अर्थात स्वीकृत निविदा के अनुसार ठेके के करों क छाड़कर कुल निर्धारित लागत जिसमें से वास्तव में सुपुर्द की गई भंडार सामग्री की लागत और उपराक्तानुसार क्रेता द्वारा ठेकेदार के कार्य स्थल से ली गई सामग्री क घटाया गया ह । बशर्ते इस कारण या अन्य किसी कारण से ठेकेदार क देय किसी भुगतान के संबंध में क्रेता क अधिकार हगा कि वह इस ठेके के संबंध में भुगतान किए गए अग्रिम और अन्य काई धनराशि ज ठेके के समाप्त हाने की तारीख पर क्रेता द्वारा इस ठेके की शर्तों के अधीन ठेकेदार से वसूल की जानी ह के लिए ठेकेदार से देय किसी बकाया धनराशि से वसूल करें या जमा करवाएं ।

12. निरीक्ष ा प्राधि ार

12.1 ठेके के संबंधित खण्डों के तहत जहाँ पर भी क्रेता द्वारा निरीक्षक क भेजा जाता ह, वहाँ पर निरीक्षक क निम्नलिखित अधिकार होंगे :-

12.1.1 भंडार सामग्री या उसके अंश क निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले यह प्रमाणित कर सकता ह कि वह ठेके के अनुरूप नहीं ह सकती ह क्योंकि उसके विनिर्माण के लिए असंताषजनक तरीका अपनाया गया ह।

12.1.2 निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किसी भी भंडार सामग्री क या उसके अंश क, ठेके में दिए गए तकनीकी विनिर्देशों के अनुरूप न हाने पर, अस्वीकार कर सकता ह।

13. दाषपूर्ण भंडार सामग्री में सुधार और उसे बदलना

13.1 यदि निरीक्षक पाता ह कि ठेकेदार ने खराब या अपूर्ण कार्य किया ह त निरीक्षक ठेकेदार क ऐसे दाषों की सूचना सुपुर्दगी की तारीख से 30 दिन के अंदर लिखित में देगा और ऐसे दाषों या कमियों का विवरण प्राप्त हाने पर अपने खर्चे पर सात दिन के अंदर या ऐसे समय के अंदर जिसकी पार्टियों के बीच परस्पर सहमति ह और ज यथाचित वश्यक ह, ठेके के अनुसार यथा अपेक्षित मानक और तकनीकी विनिर्देशों की भंडार सामग्री में बदलाव करेगा, पुनः निर्माण या पुनः उत्पादन करेगा ।

13.2 यदि दोषपूर्ण/अस्वीकृत भंडार सामग्री को मरम्मत करना/बदलना ो वश्यक हो जाता हो और ठेकेदार को उस भंडार सामग्री को लौटाना ो वश्यक हो जाता हो जिसका भुगतान क्रेता द्वारा पहले जारी किया जा चुका हो तो ठेकेदार यथा लागू, अनुलग्नक V या VI के अनुसार इस प्रकार दोषपूर्ण/अस्वीकृत पाई गई भंडार सामग्री के मूल्य के लिए सूचना देने के 15 दिन के अंदर बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा और यह बैंक गारंटी मरम्मत/बदलने/संपूर्ण भंडार सामग्री की प्राप्ति और स्वीकृति तक वैध रहेगी । तथापि, ठेकेदार अनुभाग-सी भाग-ए खण्ड सं. 8 के अंधीन विनिर्दिष्ट किए अनुसार अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होगा ।

14. अस्वी ार ो रने े परिणाम

14.1 यदि निरीक्षक द्वारा या परेषिती द्वारा गंतव्य पर भंडार सामग्री अस्वीकृत कर दिया जाता हो और ठेकेदार, सुपुर्दगी तारीख के अंदर संतोषजनक ो पूर्ति करने में असफल हो जाता हो तो क्रेता :

14.1.1 अनुभाग-सी भाग-ए खण्ड सं.10 के अधीन बढ़ी हुई सुपुर्दगी अवधि के अंदर अस्वीकृत भंडार सामग्री के बदले नई भंडार सामग्री निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करने की अनुमति ठेकेदार को दे सकता हो। ठेकेदार इस प्रकार बदल कर दी गई भंडार सामग्री के मालभाड़े का वहन करेगा और इस कारण किसी अतिरिक्त भुगतान के लिए हकदार नहीं होगा । **या**

14.1.2 क्रेता, धारा-सी भाग-ए खण्ड 8.4 का सहारा ले सकता हो।

15. बो ाया राशि ी वसूली

15.1 यदि इस ठेके के तहत या के कारण ठेकेदार द्वारा भुगतान करने के लिए कोई दावा सामने ो ता हो तो क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत जमानती जमा से उस धनराशि की पूरी या ो ंशिक वसूली करे या क्रेता से किए गए इस या अन्य किसी ठेके के तहत इसके बाद किसी भी समय ठेकेदार को देय धनराशि से करें । यदि यह राशि उतनी नहीं हो जिससे अपेक्षित पूर्ण धनराशि वसूल हो जाए तो ठेकेदार को मांगे जाने पर बकाया धनराशि का भुगतान क्रेता को करना होगा । उसी प्रकार, यदि क्रेता से किए गए किसी अन्य ठेके के तहत क्रेता का ठेकेदार पर कोई दावा हो या क्रेता कोई दावा करता हो चाहे वह परिसमापन हो या नहीं, ठेकेदार को ठेके के तहत देय राशि का जमानती जमा सहित भुगतान तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक क्रेता के ऐसी सभी दावों का अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता और ठेकेदार द्वारा इनका भुगतान नहीं कर दिया जाता ।

16. अन्य ठे ों े दावों े संबंध में धारणाधि ार

16.1 यह सहमति हो कि क्रेता के साथ ठेकेदार द्वारा किए गए अन्य ठेके या क्रेता के माध्यम से अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उक्त ठेकेदार के साथ संपन्न किसी ठेके के कारण या ठेके के तहत धनराशि के भुगतान के लिए ठेकेदार के विरूद्ध क्रेता या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई दावा उत्पन्न हो तो इस ठेके के तहत ठेकेदार को देय राशि तथा ऐसी राशि जिसका भुगतान किया जाना हो में से क्रेता के माध्यम से ठेका करने वाले किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उन दावों की राशि रोक कर रखी जा सकती हो या धारणाधिकार के तहत धारित की जा सकती हो।

16.2 यह ठेके की सहमत हुई शर्त ह□कि इस खण्ड के अधीन क्रेता द्वारा इस प्रकार राक्र कर रखी गई या धारित की गयी धनराशि, क्रेता द्वारा तब तक राक्र कर रखी जाएगी या धारित की जाएगी जब तक कि इस ठेके या किसी अन्य ठेके से उत्पन्न इस दावे पर या त□ पारस्परिक समझौता नहीं ह□ जाता ह□ या मध्यस्थ द्वारा इसका निर्णय नहीं कर दिया जाता और कि ठेकेदार, इस खंड के अधीन राक्र कर रखी गई या धारित की गई धनराशि, जिसकी सूचना ठेकेदार क□ दी जा चुकी ह□ के संबंध में इसी कारण से या किसी अन्य □ धार पर ब्याज या क्षति, ज□ कुछ भी ह□ का दावा नहीं करेगा ।

17. वारंटी

17.1 ठेकेदार वारंटी देता ह□कि ठेके के तहत □ पूर्ति की जाने वाली भंडार सामग्री, कारीगरी और विनिर्माण से संबंधित सभी दाक्षों और कमियों से मुक्त हाेगी एवं उच्चतम ग्रेड व ठेके के तहत इस प्रकार के भंडार के लिए स्थापित व सामान्यतः स्वीकृत मानकों के अनुरूप तथा पूर्णतः विनिर्देशों, ड्राइंगों या नमूनों, यदि काई ह□ के अनुसार हाेगी एवं यदि प्रचालन के लिए ह□त□ इसका प्रचालन ठीक प्रकार से हाेगा । यह वारंटी, ठेके के तहत भंडार सामग्री के अंतिम लॉट के, ठेके में निर्धारित अंतिम गंतव्य पर प्राप्त और स्वीकृत हाने की तारीख से 12 माह बाद (ऐसी तारीख से पहले ठेकेदार क□ अधिसूचित शिकायतों क□ छाड़कर) समाप्त ह□ जाएगी ।

17.2 यदि ठेके के तहत ठेकेदार द्वारा □ पूर्ति की गई भंडार सामग्री में काई दाक्ष या कमी भारत में भंडार सामग्री की प्राप्ति और स्वीकृति की तारीख से 12 माह के अंदर पता चलती ह□त□ क्रेता द्वारा ऐसे दाक्षों या कमी की सूचना देने पर, ठेकेदार, ऐसे सभी दाक्षों , कमियों या असफलताओं क□ ठीक करने के लिए उपाय करेगा जिसकी लागत का खर्च क्रेता पर नहीं डालेगा ।

17.3 यदि ठेकेदार भंडार सामग्री क□ ठीक करने/मरम्मत करने के लिए भंडार सामग्री क□ अपनी कार्यशाला में वापस ले जाने का चयन करता ह□त□ ठेकेदार अनुलग्नक V या VI (यथा लागू) के अनुसार भंडार सामग्री की लागत के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा ज□ सुधार/मरम्मत की गई भंडार सामग्री क□ स्वीकार किए जाने तक वैध हाेगी । वारंटी अवधि क□ फिर से उस अवधि तक के लिए बढ़ाया जाएगा जब तक भंडार सामग्री क्रेता क□ उपयाग के लिए उपलब्ध न ह□ । यदि ठेकेदार ऐसी सूचना के बाद, क्रेता की संतुष्टि हाने तक ऐसे सभी दाक्षों, कमियों या असफलताओं क□ ठीक करने में चूक या विलंब करता ह□ त□ क्रेता धारा-सी भाग-ए खण्ड सं. 11 और 14 में दिए गए उपायों का सहारा ले सकता ह□।

18 परमिट तथा लाइसेंस

18.1 ठेकेदार क□ ठेके के तहत उसके दायित्वों का निष्पादन करने के संबंध में जन प्राधिकारियों के सभी कानूनों, अध्यादेशों तथा नियमनों का अनुपालन करने के लिए □ वश्यक सभी लाइसेंस तथा परमिट स्वयं प्राप्त करने होंगे तथा उसके लिए भुगतान करना हाेगा । ऐसा काई भी लाइसेंस तथा परमिट प्राप्त करने तथा उसके लिए भुगतान करने से ठेकेदार यदि चूक जाता ह□ या लागू किसी या सभी कानूनों, अध्यादेशों तथा नियमनों का पूर्णत: अनुपालन करने में चूक जाता ह□त□ उसके परिणामस्वरूप क्षति और देयता के संबंध में किए गए सभी दावों से तथा वैधानिक उत्तरदायित्वों से क्रेता क□ बचाएगा तथा पूरी क्षति के लिए वही उत्तरदायी हाेगा ।

19. पेटेंट संबंधी वैधानि उत्तरदायित्वों से बचाना

19.1 ठेकेदार द्वारा पूर्ति की गयी भंडार सामग्री से संबंधित किसी भी डिजाइन याजनाओं (design plans), रेखों (diagrams), ड्राइंगों के पेटेंट अधिकारों, कॉपीराइट या अन्य संरक्षित अधिकारों के उल्लंघन के कारण या ठेके के तहत ठेकेदार द्वारा पूर्ति की गयी भंडार सामग्री के निर्माण के लिए अपनायी गयी किसी भी पद्धति और प्रक्रिया के विरूद्ध और उसके कारण किए गए/उत्पन्न किसी भी तथा सभी दावों, कार्रवाइयों, लागतों, रापों तथा खर्चों का वहन ठेकेदार करेगा तथा उनके वधानिक उत्तरदायित्वों से क्रेता क बचाएगा ।

19.2 यदि उपराक्त खण्ड 19.1 में संदर्भित मामले के संबंध में क्रेता के विरूद्ध काई दावा किया जाता ह या उसके विरूद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती ह, त ठेकेदार क तत्काल सूचित किया जाना चाहिए तथा ठेकेदार अपने खर्च पर उसके निपटान के लिए तथा उससे उत्पन्न ह सकने वाली किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से निपटने के संबंध में ज भी बातचीत/चर्चा की जानी ह, करेगा ।

19.3 ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत डिजाइनों, ड्राइंगों, याजनाओं या रेखों या निर्माण के तरीके या प्रक्रिया से पेटेंट या किसी अन्य संरक्षित अधिकारों का उल्लंघन हाने और उनके उपयाग पर पाबंदी लगने की स्थिति में ठेकेदार, उनका उपयाग जारी रखने का अधिकार क्रेता के लिए खरीदेगा जिसके लिए क्रेता से काई राशि नहीं लेगा या जहाँ तक संभव ह उन्हें रीप्लेस करेगा ताकि उल्लंघन से बचा जा सके और यह क्रेता द्वारा अनुमादन के अधीन हागा या उनमें संशधन करेगा ताकि वे उल्लंघनकारी न रहें, लेकिन ये संशधन ऐसे हाने चाहिए जिनसे क्रेता पूरी तरह संतुष्ट ह ।

19.4 इस खण्ड के प्रावधान, ठेके की पूर्णता, समाप्ति या रद्द हाने के बाद भी प्रभावी रहेंगे, ठेकेदार के लिए बंधनकारी होंगे ।

20. भुगतान ा तरी ा और दस्तावेजी रण

20.1 भारतीय रुपयों के अलावा अन्य मुद्रा में ठेकों का भुगतान

20.1.1 जब तक कि इसका कहीं और अन्यथा उल्लेख न ह, भंडार सामग्री की अंतिम स्वीकृति के 30 दिन के अंदर वायर ट्रांसफर द्वारा पूर्ण भुगतान (कीमत में समाविष्ट कमीशन की राशि क छाड़कर जिसका भुगतान भारतीय एजेंट क क्रेता द्वारा सीधे किया जाना ह) किया जाएगा । परेषण के शिपमेंट के तुरंत बाद क्रेता क निम्नलिखित दस्तावेज भेजे जाने अपेक्षित ह:

1. शिपमेंट के सबूत के तौर पर लदान बिल/नेगशिएबिल हवाई मार्ग (एयरवे) बिल
2. शिपमेंट के लिए इनवॉइस : 4 प्रतियाँ
3. पकिंग सूची : 4 प्रतियाँ
4. क्रेता के निरीक्षक या निरीक्षण हेतु क्रेता द्वारा नामित गुणता निगरानी एजेंसी से प्राप्त शिपिंग रिलीज : 4 प्रतियाँ
5. क्रेता से शिपिंग प्राधिकार जहाँ भी वश्यक ह
6. धारा-सी भाग-ए के खण्ड सं.7 में दिए प्रावधान के अनुसार भंडार सामग्री के संबंध में निष्पादन बंधपत्र हेतु, ठेके के मूल्य के 10% के लिए बैंक गारंटी ।

20.1.2 ठेकेदार केवल उसी राशि के लिए बीजक बनाएगा जो उसे निवल (नेट) देय है अर्थात् बीजक में समाविष्ट एजन्सी कमीशन की राशि, जिसका भुगतान क्रेता द्वारा भारतीय एजेंटों को सीधे किया जाएगा, का समावेश इनवॉइस बनाते समय नहीं करेगा । तथापि, ठेकेदार के इनवॉइस में उस राशि का अलग से उल्लेख होना चाहिए जो उनके भारतीय एजेंटों को कमीशन के रूप में देय है।

20.2 ठेकों के लिए भारतीय रुपयों में भुगतान

20.2.1 जब तक कहीं और अन्यथा उल्लेख न हो, भंडार सामग्री की अंतिम स्वीकृति के बाद और तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत किए जाने पर ही उचित समय के अंदर भुगतान किया जाएगा ।

20.2.2 भंडार सामग्री प्राप्त होने के बाद निरीक्षण और भुगतान के लिए सामान्यतः 30 दिनों की अनुमति दी जाएगी ।

21. वैधानिक कटौतियां

21.1 क्रेता को अधिकार होगा कि वह संबंधित अधिनियम के प्रावधानों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा भुगतान किए जाने की तारीख पर लागू वैधानिक कटौतियां ठेकेदार को किए गए भुगतान से करें । इस संबंध में उपयुक्त प्रमाणपत्र क्रेता के भुगतान प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा ।

22. एजेंसी कमीशन

22.1 कीमत में समाविष्ट कमीशन की राशि, जो ठेकेदार के भारतीय एजेंटों को देय हो, का भुगतान भारतीय एजेंटों से प्राप्त इन्वॉइस के आधार पर क्रेता द्वारा उन्हें समतुल्य भारतीय रूपयों में सीधे किया जाएगा । "क्रेता द्वारा माल प्राप्त किए जाने और अंतिम स्वीकृति दिए जाने के बाद भारतीय एजेंट को भुगतान रिलीज किया जाएगा और विनिमय दर के आधार पर ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा ।

23. बीमा

23.1 भारतीय रुपयों के अलावा अन्य मुद्रा में ठेकों के लिए

मालगोदाम से मालगोदाम तक का पारगमन बीमा क्रेता अपने समुद्री बीमाकर्ता (अंडरराइटर्स) द्वारा करवाएगा जब तक कि किसी विशेष मामले में इसकी जिम्मेदारी विशेष रूप से ठेकेदार को न सौंपी गई हो ।

24. मार्किंग

24.1 भारतीय रुपयों के अलावा अन्य मुद्रा में ठेकों के लिए

24.1.1 ठेके के तहत सुपुर्द किए गए प्रत्येक पैकेज को ठेकेदार द्वारा उसके खर्च पर पैकेज के तीन ओर से मार्क किया जाना चाहिए तथा ऐसी सभी मार्किंग स्पष्ट होनी चाहिए एवं उसमें भंडार सामग्री का विवरण तथा मात्रा, परेषिती(कनसाइनी) का नाम तथा पता, पैकेज का सकल तथा शुद्ध वजन, ठेकेदार का नाम, अंतिम गंतव्य, स्चार्ज का पोर्ट इत्यादि स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए ।

24.1.2 मार्किंग सामान्यत: निम्न प्रकार से होगी

परेषिती (कनसाइनी) का नाम और पता	क्रय एवं भंडार निदेशालय, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग
ठेका संख्या एवं तारीख	संख्या : .... तारीख : ....
माल का संक्षिप्त विवरण	
वजन	
आयाम (डाइमेंशन)	
अंतिम गंतव्य	
डिस्चार्ज का पोर्ट	
पैकेज संख्या	

24.1.3 प्रत्येक पैकेज में एक पैकिंग नोट होगा जिस पर ठेकेदार का नाम और पता, ठेके की संख्या और तारीख, परेषिती (कनसाइनी) का नाम और पता, भंडार सामग्री का विवरण और उस पैकेज में रखी गई मात्रा का उल्लेख होगा ।

24.1.4 यदि भंडार सामग्री उपर्युक्तानुसार पैक और/या मार्क न की गई हो और जिन मामलों में पैकिंग सामग्री विशेष रूप से निर्धारित की गई हो उनमें यदि ठेके की शर्त के अनुसार सामग्री प्रयुक्त न की गई हो तो अनुभाग-सी भाग-ए के खण्ड सं. 6 के तहत क्रेता द्वारा नियुक्त निरीक्षक, भंडार सामग्री को अस्वीकार कर सकता है।

25. **अखण्डता संहिता**

प्रापण करने वाली संस्था का कोई भी कार्मिक या बोलीकर्ता या ठेकेदार ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे संहिता का उल्लंघन हो, इस संहिता में निम्न शामिल हैं

(i) निषेध :

(ए) प्रापण प्रक्रिया में अनुचित लाभ के बदले या प्रापण प्रक्रिया को अन्य प्रकार से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑफर, प्रलोभन देने या घूंस, इनाम या उपहार या किसी भौतिक लाभ को स्वीकार करने पर

(बी) ऐसी किसी भी चूक या गलतबयानी पर जो गुमराह कर सके या गुमराह करने का प्रयास कर सके ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किए जा सके या किसी दायित्व से बचा जा सके ।

(सी) किसी भी दुरभिसंधि, बोली में हेराफेरी या स्पर्धा-विरोधी व्यवहार पर जिससे प्रापण प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को नुकसान पहुंच सके ।

(डी) प्रापण प्रक्रिया में अनुचित लाभ या व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के इरादे से बोलीकर्ता को प्रापण संस्था द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुचित उपयोग पर

(ई) बोलीकर्ता और किसी प्रापण संस्था के कार्मिक के बीच निविदा या ठेके की निष्पादन प्रक्रिया के संबंध में ऐसे किसी वित्तीय या व्यापारिक लेन-देन पर जो प्रापण संस्था के निर्णय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सके ।

(एफ) प्रापण प्रक्रिया क□ प्रभावित करने के लिए किसी पार्टी या इनकी सम्पत्ति क□ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान या हानि पहुंचाने के लिए ऐसे किसी बलप्रयाग या धमकी पर

(जी) प्रापण प्रक्रिया संबंधी ऐसी किसी जांच या परीक्षण में बाधा ड़ालने पर

(एच) निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या ठेका प्राप्त करने हेतु गलत घाषणा करने या गलत सूचना उपलब्ध कराने पर ;

(ii) अंर्तद्वंद्वी प्रभाव का प्रकटन

(iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी देश की किसी संस्था के साथ उपखण्ड (i) के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन का या किसी प्रापण संस्था द्वारा राक लगाए जाने का बालीकर्ता द्वारा प्रकटन

यदि क्रय एवं भंडार निदेशालय, सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता ह□कि एक बालीकर्ता या संभावित बालीकर्ता, यथास्थिति, ने अखण्डता संहिता का उल्लंघन किया ह□त□ वह उचित उपाय/कार्यवाही कर सकता ह□जिसमें उनकी बाली क□ अस्वीकार करना और ईएमडी क□ जब्त करना और/या भावी ब□लियों में भाग लेने से उन्हें राकना शामिल ह□।

26. ठे□ □ □ शासित □ रने वाले □ ानून (भारतीय रुपयों में ठे□ ों □ लिए)

ठेका, भारत के तत्समय लागू कानून द्वारा शासित हागा । सभी भंडार सामग्री का चिह्नांकन (मार्किंग), वाणिज्यिक वस्तु चिह्नन से संबंधित भारतीय अधिनियमों की □ वश्यकताओं तथा ऐसे अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करने वाला हाना चाहिए ।

27 न्यायालयों □ ा क्षेत्राधि□ ार

इस ठेके से उत्पन्न किसी भी मामले क□ पेश □ ने तथा उस पर निर्णय करने का अधिकार, धारा-सी भाग-ए के खण्ड क्रमांक 28 के अधीन केवल उन्हीं न्यायालयों क□ हागा जिनके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा में वह स्थान स्थित ह□जहाँ से ठेका जारी किया गया ह□ ।

28. विवाद समाधान

सभी विवाद, विवाद निवारण समिति क□ भेजा जाएगा जिसमें कम से कम क्रेता से एक सदस्य, तकनीकी प्राधिकारी/प्रयाक्ता विभाग और ठेकेदार हागा । यह समिति निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय द्वारा विवाद की सूचना देने वाले पत्र की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अंदर गठित की जाएगी । यदि विवाद निवारण समिति के गठन की तारीख से 45 दिनों की अवधि के अंदर विवाद का समाधान नहीं हाना ह□त□ काई भी पार्टी नीचे खण्ड 29 में दिए अनुसार मध्यस्थता के लिए कार्यवाही कर सकती ह□।

29 मध्यस्थता

29.1 मध्यस्थता (भारतीय रुपयों में ठेकों के लिए)

29.1.1 यदि ठेके में दी गई इन शर्तों या किसी शर्त के कारण या इस ठेके के संबंध में कोई सवाल, विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनके संबंध में निर्णय इन शर्तों में पहले ही विशेष रूप से दे दिया गया हो) तो उपरोक्त धारा-सी भाग-ए खंड 28 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इसे एकमात्र मध्यस्थता के लिए निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय, वि.सा. भवन, मुंबई-400 094 या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के पास भेजा जाएगा । ठेकेदार को कोई ◻ पत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ एक सरकारी कर्मचारी है या कि उसने उन मामलों पर कार्रवाई की है जिनसे ठेका संबंधित है या कि सरकारी कर्मचारी के रूप में अपनी ड्यूटी निभाते समय, उसने विवाद या मतभेद संबंधी किसी या सभी मामलों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं । मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और ठेके के पक्षों पर बाध्यकारी होगा ।

29.1.2 उपरोक्त के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 और इसके अधीन बनाये गये नियम जो तत्समय लागू है इस खंड के अधीन मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू माने जाएंगे । मध्यस्थ को यह अधिकार होगा कि वह क्रेता और ठेकेदार की सहमति से निर्णय करने और उसे प्रकाशित करने के समय को बढ़ा दें । मध्यस्थता का स्थान वही होगा जहां से ठेका जारी किया गया है या वह जो मध्यस्थ अपने पूर्ण विवेक से निर्धारित करेगा ।

29.2 **मध्यस्थता** (भारतीय रुपयों को छोड़कर अन्य मुद्रा में ठेकों के लिए)

29.2.1 वर्तमान ठेके के संबंध में उत्पन्न सभी विवादों का अंतिम रूप से निपटान अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल की सुलह और मध्यस्थता नियमावली के अधीन, उक्त नियमावली के अनुसार नियुक्त एक या अधिक मध्यस्थों द्वारा किया जाएगा ।

29.2.2 मध्यस्थता का स्थान वह देश होगा जहां से ठेका जारी किया गया है ।

30. स्वामित्व ◻ा अंतरण

30.1 विदेशी ठेकेदार द्वारा ◻ पूर्ति की गई भंडार सामग्री का स्वामित्व स्वीकृत भुगतान शर्तों या इनकोटर्मस् के अनुसार क्रेता को अंतरण किया जाएगा ।

30.2 भारतीय ठेकेदार द्वारा ◻ पूर्ति की गई भंडार सामग्री का स्वामित्व क्रेता को तब अंतरण किया जाएगा जब भंडार सामग्री की सुपुर्दगी की जाती है और क्रेता द्वारा इसकी स्वीकृति की जाती है।

30.3 हक का अंतरण, ठेके के अधीन ठेकेदार को उसके उत्तरदायित्वों और देयताओं से मुक्त नहीं करेगा । भंडार सामग्री के स्वामित्व का अंतरण संबंधी किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि क्रेता के कार्य स्थल तक भंडार सामग्री की सुरक्षित सुपुर्दगी नहीं हो जाती, भंडार सामग्री के देखभाल और अभिरक्षा की जिम्मेदारी के साथ इसकी हानि या क्षति का जोखिम ठेकेदार का ही रहेगा ।

30.4 बौद्धिक संपदा अधिकार

30.4.1 डिजाइन दस्तावेज और ड्राइंग संबंधी सभी अधिकार यदि क्रेता द्वारा पृथक रूप से या ठेके की लागत में शामिल करते हुए समग्र रूप से भुगतान किए गए हो क्रेता के पास रहेंगे और ठेकेदार इन अधिकारों पर कोई भी दावा, चाहे जो भी हो नहीं करेगा ।

31. क्रेता के अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग करना

31.1 क्रय एवं भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक ठेके के तहत क्रेता के सभी अधिकार, विवेक और शक्तियां रखने वाले क्रेता की ओर से कार्रवाई, प्रयोग और बातचीत करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति हैं तथा ठेके की इन सामान्य शर्तों/ठेके की विशेष शर्तों में दिए गए निबंधनों और शर्तों के संबंध में क्रेता की किसी राय के संदर्भ का मतलब इस खंड में उल्लेख किए अनुसार उनके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति की राय का संदर्भ होगा और इसे इसी रूप में समझा जाएगा, इसका इसी तरह अर्थ लगाया जाएगा । क्रेता की ओर से सभी सूचनाएं निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जारी की जाएंगी ।

32. ठेके को समाप्त करना

32.1 यदि ठेके के नियम एवं शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को नोटिस देने के बाद ठेके को समाप्त कर दें ।

32.2 जमानती जमा, यदि कोई पहले से उपलब्ध हो तो उसे जब्त कर लिया जाएगा ।

32.3 उपरोक्त के अतिरिक्त, ठेकेदार उस पर रोक लगाए जाने और/या प्रतिबंधित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा ।

भाग– बी

धारा-सी भाग-ए में दी गई, ठेके की सामान्य शर्तों के अतिरिक्त, ठेके की निम्नलिखित विशेष शर्तें भी संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/विनिर्मित उपस्कर के लिए किए जाने वाले ठेकों पर लागू होंगी । भाग-बी में दी गई ये विशेष शर्तें ठेके की सामान्य शर्तों क□ अध्याराहण करेंगी जहां भी उसमें अस्पष्टता/विवाद की स्थिति हा□गी ।

ठे□ □ी विशेष शर्तें

1. पूर्णता □ी जिम्मेदारी

1.1 का□ई भी फिटिंग या उप-साधन जिसका उल्लेख ठेके के निविदा विनिर्देशों में विशेष तौर पर नहीं किया गया ह□ लेकिन ज□ □ वश्यक हों, उसे ठेकेदार द्वारा बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा संयत्र/मशीनरी/उपस्कर/मापयंत्र शामिल करने वाली भंडार सामग्री सुपुर्दगी तारीख के अंदर हर तरह से पूर्ण हा□गी चाहिए ।

2 अंतिम परीक्षण

2.1 निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए फाइनल परीक्षण तथा गारंटी, इंस्टालेशन कार्य पूर्ण हा□ने के एक माह के अंदर □ रम्भ किए जाएं ।

ठेकेदार ठेके में दिए अनुसार अंतिम परीक्षण □ रम्भ करने के लिए □ वश्यक सेवाओं/सुविधाओं के बारे में क्रेता क□ पर्याप्त समाप्त पहले सूचित करेगा ।

3 दा□षपूर्ण संयंत्र अस्वी□ ार □ रना

3.1 यदि वारंटी अवधि सहित ठेके के चालू रहने के दौरान पूर्ण हु□ संयंत्र या इसका का□ई भाग, अंतिम रूप से स्वीकार किए जाने से पहले, दा□षपूर्ण पाया जाता ह□ या यह ठेके की □ वश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता ह□त□ क्रेता ठेकेदार क□ ऐसे दा□ष या असफलता का विवरण देते हुए तुरंत न□टिस देगा और ठेकेदार दा□षपूर्ण संयंत्र क□ तुरंत ठीक करेगा या ठेके की □ वश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए उसमें यथाशीघ्र और घटना की सूचना की तारीख से अधिक से अधिक 30 दिन के अंदर बदलाव करेगा । यदि ठेकेदार उपयुक्त समय के अंदर ऐसा नहीं करता ह□त□ क्रेता सम्पूर्ण संयंत्र या इसका का□ई भाग, यथास्थिति, ज□ दा□षपूर्ण ह□ या ज□ ठेके की □ वश्यकताओं की पूर्ति न करता ह□ अस्वीकार कर सकता ह□और ठेकेदार की लागत पर बदली कर सकता ह□। क्रेता द्वारा ऐसा बदलाव समुचित समय में तथा उचित कीमत पर और जहाँ तक संभव ह□ पहले जा□ी विनिर्देशों और स्पर्धात्मक स्थितियों के तहत किया जाएगा । ठेकेदार, ठेके में दिए प्रावधानों के अनुसार, सुपुर्द किए गए और/या इरेक्ट किए गए ऐसे बदलाव की अतिरिक्त लागत (यदि का□ई ह□ त□) का भुगतान क्रेता क□ करने के लिए उत्तरदायी हा□गा, यह अतिरिक्त लागत ऊपर दिए गए प्रावधानों के तहत ऐसे बदलाव के लिए क्रेता द्वारा भुगतान की गई कीमत और उसके लिए ठेके की कीमत के बीच का अंतर हा□गा । ठेकेदार, ऐसे दा□षपूर्ण संयंत्र के संबंध में, क्रेता द्वारा ठेकेदार क□ भुगतान की गई सभी धनराशि क्रेता क□ वापस (रिफंड) करेगा ।

4. वारंटी

4.1 संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/मापयंत्र शामिल करने वाली भंडार सामग्री का प्रचालन □ रम्भ हा□ने के बाद न्यूनतम 12 माह की अवधि हेतु (या संयंत्र/मशीनरी/उपस्कर/मापयंत्र शामिल करने वाली भंडार सामग्री की प्रकृति के □ धार पर परस्पर सहमत एक यथा□चित लंबी अवधि, ज□ अंतिम बडे शिपमेंट की तारीख से गिनी जाए, हेतु) वारंटी देगा, ठेकेदार उन सभी दा□षों के लिए जिम्मेदार हा□गा, ज□ ठेके में दी गई शर्तों के तहत और उचित ढंग से उपया□ग के तहत, संयंत्र में दा□षपूर्ण सामग्री, डिजाइन या कारीगरी के कारण या ठेकेदार द्वारा संयंत्र का दा□षपूर्ण विनिर्माण किए जाने से, उत्पन्न हुए हों या अन्य किसी कारण से उत्पन्न हुए हों । ऐसे दा□षों क□ ठीक किए जाने की मांग क्रेता द्वारा किए जाने पर ठेकेदार अपनी लागत पर उन्हें ठीक करेगा । क्रेता ऐसे दा□षों के बारे में लिखित में सूचित करेगा ।

4.2 यदि इस खण्ड के तहत दा□ष-सुधार के उद्देश्य से संयंत्र के दा□षपूर्ण भागों क□ बदली करना या उनका नवीकरण करना ठेकेदार के लिए □ वश्यक ह□ जाता ह□ त□ इस खण्ड के प्रावधान, ऐसे बदलाव या नवीकरण की तारीख से छह माह की अवधि समाप्त हा□ने तक या ऊपर उल्लिखित 12 माह की अवधि समाप्त हा□ने तक, ज□ भी बाद में ह□ इस प्रकार बदली या नवीकरण किए संयंत्र के भागों पर लागू होंगे । यदि यथा□चित समय के अंदर किन्हीं दा□षों में सुधार नहीं किया गया त□ क्रेता, ठेका या उसके भाग क□ रद्द कर सकता ह□ जिसका निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी हा□गा और ठेकेदार बिना किसी □ पत्ति के ठेकेदार क□ भुगतान किया गया धन वापस कर देगा ।

4.3 वारंटी अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किए गए सभी निरीक्षण, समाया□जन, रिप्लेसमेंट या नवीकरण ठेके में दी गई समान शर्तों के अधीन हा□गा ।

4.4 ठेकेदार, हिस्से-पुर्जों का उत्पादन बंद हा□ने से पहले, क्रेता क□ कम से कम 12 माह पहले अग्रिम सूचना देगा ताकि क्रेता यदि चाहे त□ एक या अधिक लॉट में हिस्से-पुर्जों की अपनी □ वश्यकता का □ देश दे सके ।

4.5 ठेकेदार संयंत्र/उपकरण भंडार की □ यु सीमा तक यह गारंटी भी देगा कि यदि हिस्से-पुर्जों का उत्पादन बंद किया जाता ह□ त□ वह, □ वश्यकता पड़ने पर क्रेता क□ भंडार के हिस्से-पुर्जों के ब्लू-प्रिंट, □ रेख तथा सामग्री के विनिर्देशन नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा, ताकि क्रेता अन्य स्रा□तों से हिस्से-पुर्जों का फा□ब्रिकेशन या प्रापण करवा सके ।

4.6 इस खंड के प्रावधान, ठेके के पूरा हा□ने के बाद या ठेके समाप्त हा□ने के 15 वर्ष तक, ज□ भी पहले ह□ तब तक ठेकेदार पर लागू रहेंगे तथा बाध्यकारी होंगे जब तक, ठेके के तहत □ पूर्ति किए गए भंडार का उपया□ग क्रेता द्वारा किया जा रहा ह□।

5. विनिर्माण तथा □ मीशनन

5.1 जिन मामलों में, ठेके में, क्रेता के परिसर में विनिर्माण और कमीशनन के पर्यवेक्षण या क्रेता के परिसर में परीक्षण का प्रावधान ह□ ठेकेदार इंस्टालेशन एवं कमीशनन के लिए अपेक्षित सेवाओं का पहले ही उल्लेख करेगा और क्रेता, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न ह□ ऐसे कामगार, सामग्री, ईंधन, भंडार सामग्री, उपकरण और इन्स्ट्रुमेंट ठेकेदार क□ नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा ज□ विनिर्माण तथा कमीशनन के पर्यवेक्षण का काम और □ वश्यक परीक्षण का काम कुशलतापूर्वक करने के लिए समय-समय पर □ वश्यक हों तथा जिसकी ठेकेदार द्वारा यथा□चित मांग की जाए । ऐसे ठेकों के मामले में

जिनमें कार्यस्थल पर विनिर्माण कार्य, कमीशनन तथा परीक्षण कार्य पूरा करने के लिए बिजली या सेवाओं की वश्यकता ह ठेकेदार क बिजली या सेवाओं की नि:शुल्क या एन ईटी में दिए अनुसार पूर्ति की जाएगी ।

5.2 इस खण्ड के तहत क्रेता द्वारा की गई कार्रवाई से, ठेकेदार, ठेके के तहत उसकी वारंटी बाध्यताओं से मुक्त नहीं हगा ।

6. प्रशिक्षण

6.1 यदि क्रेता वश्यक समझते हैं त ठेकेदार क क्रेता के, भारत से ए अभियंताओं तथा तकनीकी कार्मिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए एवं ठेके/भंडार सामग्री की विनिर्माण की संपूर्ण अवधि के दौरान विनिर्माण प्रक्रिया में उनके सक्रिय एस सिएशन के लिए सुविधा प्रदान करनी हगी तथा ऐसे कार्मिकों की संख्या परस्पर सहमति से तय की जाएगी ।

7. भुगतान ी शर्तें

7.1.1 जब तक एन ईटी में अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं किया जाता ह सामग्री के लिए भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :

यदि स्थापना और कमीशनिंग प्रभार, सभी खेपों की सुपुर्दगी और क्रेता के निरीक्षक द्वारा प्रारंभिक निरीक्षण संपन्न किये जाने के बाद लागू किया जाता ह त उस राशि क छह, ठेके के कुल मूल्य का 90%

शेष भुगतान अंतिम निरीक्षण, परीक्षण और स्वीकृति के पश्चात और पीबीबीजी के जमा किये जाने और उसकी स्वीकृति के बाद किया जाएगा ।

7.2 भारतीय रूपयों अलावा अन्य मुद्रा में ठ ों लिए

7.2.1 जब तक कि एन ईटी में अन्यथा विनिर्दिष्ट न ह भंडार सामग्री के लिए भुगतान, निम्नानुसार किया जाएगा

इंस्टालेशन एवं कमीशनन हेतु प्रभारों, यदि लागू ह क छहकर कुल ठेका मूल्य का 90%, अप्रत्यादेय साखपत्र द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों क प्रस्तुत करने पर :

1. शिपमेंट के सबूत के तौर पर लदान बिल/नेग शिएबिल हवाई मार्ग (एयरवे) बिल
2. शिपमेंट के लिए इनवॉइस : 4 प्रतियाँ
3. पक्रिंग सूची : 4 प्रतियाँ
4. क्रेता के निरीक्षक या निरीक्षण हेतु क्रेता द्वारा नामित गुणता निगरानी एजेंसी से प्राप्त शिपिंग रिलीज : 4 प्रतियाँ
5. क्रेता से शिपिंग प्राधिकार जहाँ भी वश्यक ह
6. धारा-सी भाग-ए के खण्ड सं.7 में दिए प्रावधान के अनुसार भंडार सामग्री के संबंध में निष्पादन बंधपत्र हेतु, ठेके के मूल्य के 10% के लिए बैंक गारंटी ।

7.2.2 बैंक के माध्यम से अग्रेषित दस्तावेजों के विवरण सहित इनवॉइस की अग्रिम प्रति ठेके में उल्लिखित भुगतान प्राधिकारी क भेजी जानी चाहिए ताकि वे बिना विलंब के दस्तावेजों का सत्यापन एवं दावे क ऑनर कर सकें ।

7.2.3 ठेकेदार, भारत में सीमाशुल्क विभाग से क्लिअरेन्स पाने के लिए वश्यक दस्तावेज क्रेता क उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हगा । ठेकेदार अपने बैंक के माध्यम से दस्तावेजों क क्रेता की बैंक क हवाई डाक से, बिना किसी विलंब के भेजने की व्यवस्था करेगा । वह यथास्थिति, हवाई मार्ग (एयरवे) बिल की तीन प्रतियाँ तथा इनवॉइस और पकिंग सूची की एक प्रति क्रेता क सीधे अग्रेषित करने की भी व्यवस्था करेगा । यदि क्रेता क उसके द्वारा उल्लिखित शिपिंग दस्तावेजों की प्राप्ति में हुए विलंब के कारण भारत में एयरपर्ट प्राधिकारियों क देय अर्थदण्ड के रूप में कई अतिरिक्त खर्च या इस तरह का अन्य कई खर्च वहन करना पड़ता ह त ठेकेदार क्रेता द्वारा वहन किए गए ऐसे अतिरिक्त खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार हगा ।

7.2.4 जबकि क्रेता, भारत में अपने बैंकरों (भारतीय स्टेट बैंक) क देय बैंक प्रभार वहन करेगा, ठेकेदार भारत के बाहर देय सभी बैंक प्रभार वहन करेगा जिसमें परामर्श/संशधन कमीशन संबंधी प्रभार भी शामिल होंगे ।

7.2.5 ठेकेदार केवल उसी राशि के लिए इनवॉइस बनाएगा ज उसे निवल (नेट) देय ह अर्थात् इनवॉइस में समाविष्ट एजन्सी कमीशन की राशि, जिसका भुगतान क्रेता द्वारा भारतीय एजेंटों क सीधे किया जाएगा, का समावेश इनवॉइस बनाते समय नहीं करेगा । तथापि, ठेकेदार के इनवॉइस में उस राशि का अलग से उल्लेख हाना चाहिए ज उनके भारतीय एजेंटों क कमीशन के रूप में देय ह।

7.2.6 समुद्री मालभाड़ा प्रभार यदि लागू ह की प्रतिपूर्ति गंतव्य पर्ट पर भंडार की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर इसके समर्थन में बिल प्रस्तुत करने पर क्रेता द्वारा वायर ट्रांसफर द्वारा की जाएगी ।

7.2.7 बकाया भुगतान अंतिम निरीक्षण, परीक्षण, इंस्टालेशन, कमिशनन (जहां लागू ह) और स्वीकृति के बाद तथा पीबीबीजी प्रस्तुत करने और स्वीकृति पर वायर ट्रांसफर द्वारा किया जाएगा ।

8. अप्रत्याशित घटना

8.1 अप्रत्याशित घटना ी परिभाषा

8.1.1 अप्रत्याशित घटना से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से हगा ज यथास्थिति ठेकेदार या क्रेता के नियंत्रण से परे ह ज वे देख न सके या अपनी पर्याप्त समझ से पूर्वानुमान न कर सके और ज ठेके के निष्पादन क काफी हद तक प्रभावित कर दे जाए

8.1.2 युद्ध, दुश्मनी या युद्ध समान प्रचालन (चाहे युद्ध की स्थिति घषित की गई ह या नहीं), क्रमण, विदेशी शक्ति का कार्य और गृह युद्ध

8.1.3 विद्राह, बग़ावत, सन्यद्राह, असन्य या सन्य सरकारी का अनधिकर ग्रहण, नागरिक हुल्लड़

8.1.4 भारत में केंद्रीय, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के □ देश द्वारा या अधीन घाटबंदी, □ यात प्रतिबंध, जब्ती, राष्ट्रीयकरण, लामबंदी, अधिग्रहण या अधियाचन या भारत में किसी स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय सरकार का काई अन्य कार्य या कार्य करने में असफलता

8.1.5 दंगे

8.1.6 राज्य/क्षेत्र/देश भर में वाहकों की हड़ताल

8.1.7 भूकंप, भू-स्खलन, ज्वालामुखी सक्रियता, □ ग, बाढ़ या □ प्लावन, ज्वारीय तरंग, प्रचण्ड तूफान या चक्रवात तूफान, □ ंधी, बिजली और दाब तरंगे या अन्य प्राकृतिक विपदा

8.1.8 नाभिकीय घटना के कारण नाभिकीय विकिरण, रेडियासक्रिय संदूषण

8.2 अप्रत्याशित घटना की सूचना

8.2.1 यदि किसी भी पार्टी क□ फार्स मजियूरे की स्थिति द्वारा ठेके के अधीन अपनी किसी बाध्यताओं क□ पूरा करने में रुकावट □ जाती ह□ बाधा □ जाती ह□ या विलंब ह□ जाता ह□ त□ वह दूसरे पार्टी क□ लिखित में ऐसी स्थिति के घटित ह□ने के बारे में अधिसूचित करेगा । एक पार्टी दूसरी पार्टी क□ उस समय सूचना देगी जब उसका अप्रत्याशित घटना द्वारा प्रभावित ह□ना बंद ह□ जाएगा ।

8.3 इसके प्रभाव क□ कम करने का कर्तव्य

8.3.1 अप्रत्याशित घटना स्थिति द्वारा प्रभावित पार्टी या पार्टियां ठेके के निष्पादन पर पड़ने वाले इसके प्रभाव क□ कम करने और ठेके के अधीन अपनी बाध्यताओं क□ पूरा करने के लिए समुचित प्रयास करेगी/करेंगी ।

8.4 अप्रत्याशित घटना के परिणाम

8.4.1 ज□ पार्टी फार्स मजियूरे की सूचना दे चुकी ह□ उसे ठेके के अधीन अपनी बाध्यताओं के निष्पादन या समयनिष्ठ निष्पादन से छूट उस समय तक के लिए ह□गी जब तक अप्रत्याशित घटना की संबंधित स्थिति जारी ह□ और उस हद तक कि इस कारण से ऐसी पार्टी का निष्पादन में रूकावट □ गई ह□ निष्पादन बाधित हु□ ह□ या उसमें विलंब हु□ ह□ । सुपुर्दगी समय क□ धारा-सी भाग-ए खण्ड-10 के अनुसार पुन: निर्धारित किया जाएगा, चाहे ऐसी अप्रत्याशित घटना स्थिति ठेकेदार के उसकी बाध्यताओं के निष्पादन में अन्य कारण से हुए विलंब के बाद घटित हुई ह□ । अप्रत्याशित घटना स्थिति के घटित ह□ने के कारण किसी भी पार्टी द्वारा किया गया विलंब या निष्पादन न किया जाना :

8.4.1.1 ठेके की चूक या ठेके का भंग नहीं माना जाएगा

8.4.1.2 इसके कारण क्षति या अतिरिक्त लागत या खर्चे के लिए काई दावा उत्पन्न नहीं ह□गा ; यदि और इस हद तक कि ऐसा विलंब या निष्पादन न किया जाने का कारण अप्रत्याशित घटना स्थिति का घटित ह□ना ह□। यदि ठेके के निष्पादन में, ठेके के चालू रहने के दौरान फार्स मजियूरे की एक या एक से अधिक स्थिति के कारण 60 दिनों से अधिक की एक बार की अवधि के लिए या 120 दिनों से अधिक की कुल अवधि के लिए पर्याप्त रूप से रूकावट □ जाती ह□ निष्पादन बाधित ह□ जाता ह□ या उसमें

बहुत अधिक विलंब हो जाता हो तो पार्टियां पारस्परिक संतोषजनक समाधान करने के लिए प्रयास करेंगी ।

8.5 उप-ठेकेदार को प्रभावित करने वाली अप्रत्याशित घटना

8.5.1 धारा-सी भाग-ए खण्ड 8 में दी गई शर्तें उप-ठेकेदार पर लागू होंगी

8.5.2 यदि कोई उप-ठेकेदार इस खण्ड में विनिर्दिष्ट शर्तों की अपेक्षा अतिरिक्त या अधिक व्यापक शर्तों पर अप्रत्याशित घटना के लिए ठेके के अधीन हकदार होता हो तो ऐसी अतिरिक्त या व्यापक अप्रत्याशित घटना स्थिति या परिस्थितियां इस खण्ड के अधीन ठेकेदार को निष्पादन न करने से मुक्त नहीं करेंगी या उसे राहत का हक नहीं देंगी ।

9. सीमाएं

9.1 इस ठेके में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी

9.1.1 प्रभावी पार्टी इस ठेके के अधीन बाध्यताओं से उस हद तक मुक्त नहीं हो पाएगी जिसके कारण प्रभावित पार्टी की घोर लापरवाही ने अप्रत्याशित घटना स्थिति को बढ़ा दिया हो; और

9.1.2 अप्रत्याशित घटना ठेके के अधीन किसी पार्टी द्वारा अन्य पार्टी के किए जाने वाले भुगतान की बाध्यताओं पर लागू नहीं होगी ।

10. बाधा

10.1 ठेकेदार को कार्य का निष्पादन करते समय यदि कोई बाधा हो ती हो तो उसकी रिपोर्ट करने के लिए अनुलग्नक X के अनुसार बाधा रजिस्टर बनाना होगा । ठेकेदार क्रेता द्वारा अनुमोदित/पृष्ठांकित बाधा रजिस्टर (रजिस्टरों) में बाधाओं को रिकार्ड करेगा । क्रेता द्वारा पृष्ठांकित की गई कार्य में ऐसी बाधा को सुपुर्दगी तारीख पुनर्निधारण प्रदान करते समय ध्यान में रखा जाएगा ।